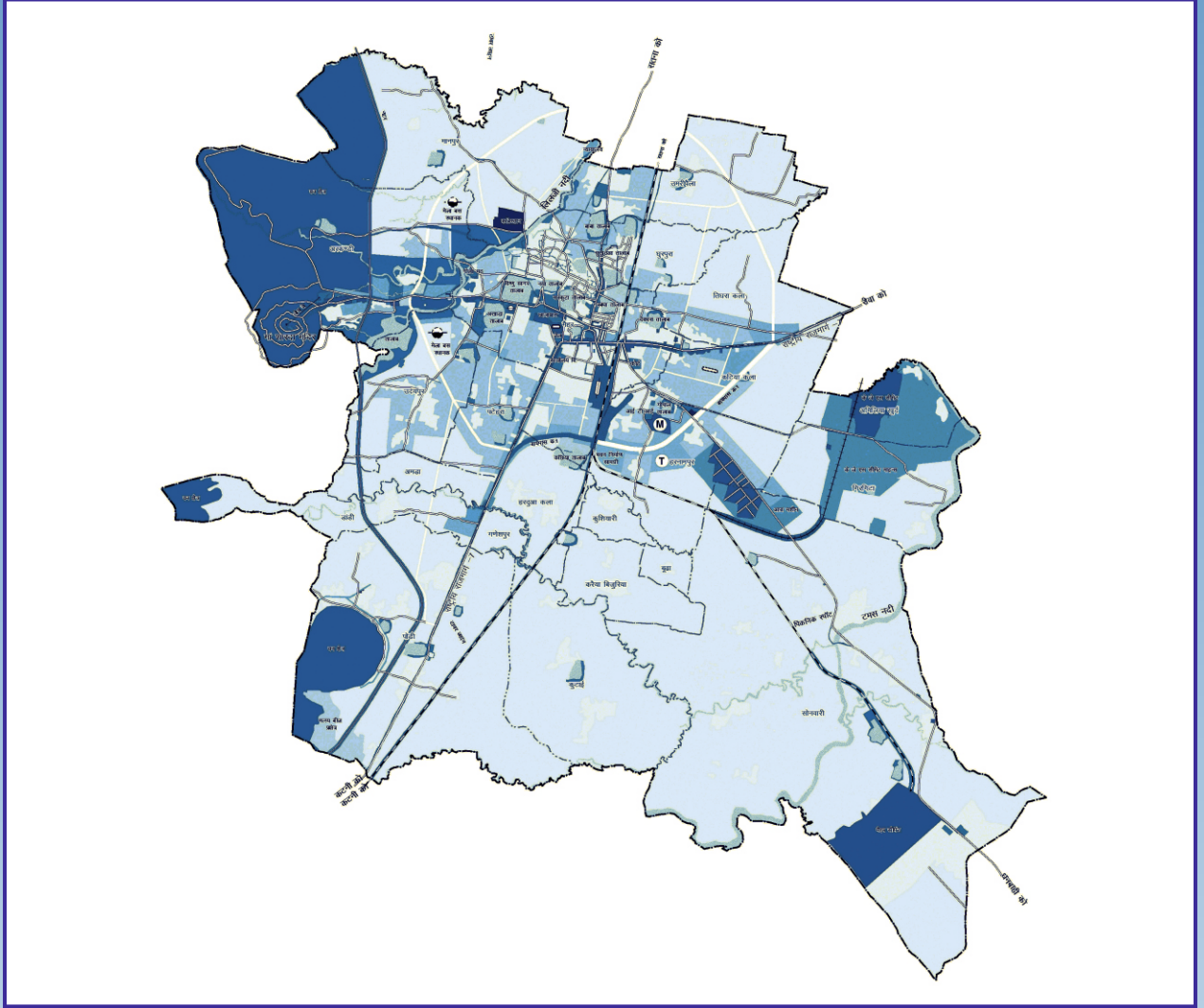


मैहर विकास योजना 2031



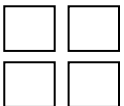
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

egj

विकास योजना

2031

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

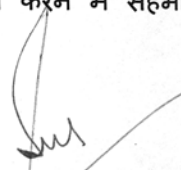
प्रस्तावना

मैहर, नगर विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंचल में मुम्बई - हावड़ा ब्राडगेज रेलवे लाईन पर सतना जिले का तहसील मुख्यालय है। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व स्थापित माँ शारदा देवी मंदिर प्रसिद्ध होने के कारण यहां दर्शनाथियों का आवागमन नगर के दैनिक कार्यकलापों में शामिल है। शरद कालीन एवं ग्रीष्म कालीन नवरात्रि पर्व पर यहां प्रतिवर्ष लगने वाला धार्मिक मेला इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधि है।

मैहर निवेश क्षेत्र की उपांतरित विकास योजना 2031 की अपेक्षित जनसंख्या 1 लाख 20 हजार को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है, तथा भूमि के आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है।

मैहर विकास योजना 2031 का अनुमोदन म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-33-2014- बत्तीस दिनांक 26/2/2015 से अनुमोदित होकर अधिसूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 6/3/2015 से प्रभावशील की गई है।

मुझे आशा है कि मैहर नगर के नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त क्रियान्वयन संस्थाएँ विकास योजना प्रस्तावों को मूर्तरूप देने में एवं नगर को विकसित करने में सहभागिता रखते हुये सहयोग प्रदान करेंगे।


(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल (म.प्र.)

;k t uk ny

vij l pkyd

बी. एन. त्रिपाठी

l ;Dr l pkyd

आर. के. पाण्डे

डॉ. अमित गजभिये

विजय सावलकर

l gk ;d l pkyd

सी.एस. सिंह

इन्दु त्रिपाठी

depkj h x.k

प्रकाश विश्वकर्मा

जयन्त शील

वी.डी. सिंह

मीना वर्मा

अली इलियास

e i d k LV d i v f / k d k j h

डॉ. विवेक कटारे

सीमा खान

देवानू भटनगार

मनीष तिवारी

fo" k; l ph

प्रस्तावना	i
योजना दल	iii
विषय सूची	v
सारणी सूची	viii
मानचित्रों की सूची	ix
v/;k;& 1 fu;ktu nf"Vdk.k	1—8
1.1	नियोजित विकास के संदर्भ में
1.2	क्रियान्वयन परिदृश्य
1.3	विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति
1.4	विकास योजना क्रियान्वयन / मूल्यांकन
1.5	भौतिक स्वरूप
1.6	जलवायु
1.7	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.8	माँ शारदा देवी प्रबंधन समिति
v/;k;& 2 fodkl ifjn'; ,o iLrkfor uxj ljpuk	9—34
2.1	क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ
2.2	विकास योजना 2031 की अवधारणा
2.3	निवेश क्षेत्र
2.4	नगर पालिका परिषद्
2.5	जनसंख्या परिवर्तन
2.6	अनुमानित जनसंख्या
2.7	व्यवसायिक संरचना
2.8	योजना कालावधि
2.9	योजना उद्देश्य तथा लक्ष्य
2.10	नगर के मुख्य कार्य कलाप
2.11	नियोजन अवधारणा
2.12	प्रस्तावित भू उपयोग एवं भू आवंटन वर्ष 2031
2.13	भूमि उपयोग संरचना
2.14	अनुमानित परिवार एवं आवासों की कमी
2.15	वाणिज्यिक उपयोग
2.16	औद्योगिक
2.17	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं

2.18	आमोद प्रमोद	30
2.19	यातायात एवं परिवहन	32
2.20	असंगत भूमि उपयोग	32
2.21	ग्राम विकास	33
2.22	नगर तालाबों का जल संवर्धन (जल भराव) एवं मत्स्य पालन	33
2.23	विकास प्रतिबंधित क्षेत्र	34
v/;k;& 3 iLrkfor ;krk;kr ljpuk ,o uxjh; v/kk ljpuk		35—43
3.1	प्रस्तावित यातायात संरचना	35
3.2	यातायात की वर्तमान स्थिति	35
3.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली	36
3.4	मार्गों का कार्यात्मक श्रेणी क्रम	36
3.5	प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	37
3.6	मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार	39
3.7	बस स्थानक	39
3.8	मेला बस स्थानक	39
3.9	पिकअप स्टेशन	39
3.10	नगरीय अवसान केन्द्र:	40
3.11	वाहन विराम स्थल	40
3.12	ओवरब्रिज एवं अन्डर ब्रिज निर्माण	40
3.13	नगरीय अधोसंरचना	41
3.14	धार्मिक एवं सांस्कृतिक	42
v/;k;& 4 fodkl fu;eu		45—217
4.1	प्रवृत्तशीलता	45
4.2	क्षेत्रातिधिकार	45
4.3	परिभाषाएँ	46
4.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	47
4.5	आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन	48
4.6	वाणिज्यिक क्षेत्र	51
4.7	औद्योगिक परिक्षेत्र	54
4.8	अन्य सुविधाएं —	54
4.9	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	54
4.10	उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन	55
4.11	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	215
4.12	4.12 सामान्य अनुशंसाएं	217

v/;k;& 5 fodkl ;ktuk fØ;kUo;u		219–227
5.1	विकास योजना का क्रियान्वयन	219
5.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	220
5.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	221
5.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	222
5.5	भूमि विकास नीति	223
5.6	प्रथम चरण कार्यक्रम	224
5.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	225
5.8	योजना की व्याख्या	227
ifj'k"V		229–235
परिशिष्ट-1	म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप	229
परिशिष्ट-2	विकास अथवा क्षेत्रीय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप	231
परिशिष्ट-3	नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का आदेश	232
परिशिष्ट-4	निवेश क्षेत्र	234
परिशिष्ट-5	भूमि उपयोग अंगीकरण	235

I kj .kh I ph

1-सा-1	विकास योजना क्रियान्वयन की स्थिति	3
1-सा-2	आवासीय विकास की स्थिति	4
1-सा-3	माँ शारदा देवी को आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या	8
2-सा-1	निवेश क्षेत्र	10
2-सा-2	नगर परिषद्	12
2-सा-3	नगर पालिका परिषद् आय-व्यय	13
2-सा-4	जनसंख्या वृद्धि	14
2-सा-5	अनुमानित जनसंख्या	14
2-सा-6	श्रमिकों का विवरण	15
2-सा-7	भूमि आवंटन-2031	17
2-सा-8	मैहर गंदी बस्तियां	19
2-सा-9	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता	21
2-सा-10	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	22
2-सा-11	वाणिज्यिक कार्य केन्द्र	23
2-सा-12	मैहर : सीमेन्ट उद्योग	26
2-सा-13	लघु औद्योगिक इकाईयां	27
2-सा-14	कार्यालय	28
2-सा-15	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	33
3-सा-1	प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	37
4-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	47
4-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	49
4-सा-3	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन	52
4-सा-4	उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन	53
4-सा-5	यातायात/मैकेनिक नगर के मानक	54
4-सा-6	यातायात नगर में सुवधाओं के मापदण्ड	55
4-सा-7	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	56
4-सा-8	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	61
4-सा-9	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	111
4-सा-10	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	215
4-सा-11	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन	217
5-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत	220
5-सा-2	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	224

ekufp=k dh lph

1.	क्षेत्रीय बसाहट	12 A
2.	निवेश क्षेत्र	12 B
3.	वर्तमान भूमि उपयोग	18 A
4.	विकास योजना 2031	18 B
5.	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	38 A
6.	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	38 B
7.	प्रथम चरण	220 A

1-1 fu;kt r fodkl d lnhk e %

नगर विकास की श्रृंखला में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नगर विकास की सतत् प्रक्रिया को सुनियोजित स्वरूप प्रदान कर नगर वासियों हेतु उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति का प्रयास है। विकास की प्रक्रिया में संलग्न शासकीय, अर्द्ध शासकीय, स्थानीय निकायों, सामाजिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर विकास योजना में दिये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाये ताकि नगर का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास हो सके। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर मैहर नगर के भावी सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुये तथा वर्ष 2011 तक के लिए आंकलित जनसंख्या 50,000 एवं नगर की विभिन्न भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैहर विकास योजना 2011 तैयार की गई थी। इस विकास योजना का प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया। जिसे म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-147-2000- बत्तीस, भोपाल दिनांक 23 अगस्त 2001 से अनुमोदित किया जाकर, म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31.08.2001 से लागू किया गया था। मैहर विकास योजना 2011 भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी जिसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नानुसार थे :-

1. दर्शनार्थियों एवं रहवासियों की सुविधाओं के अनुकूल उपयुक्त स्थल संरक्षित करना।
2. विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों के लिये सक्षम यातायात एवं परिवहन तंत्र स्थापित करना।
3. नगरीय संरचना को प्रभावित करने वाली असंगत गतिविधियों को पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का सक्षम उपयोग।
4. प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वास्तुकला की दृष्टि से महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 एवं सतना मार्ग के सीधे यातायात को नगरीय बाह्य क्षेत्र से निकालने हेतु, बायपास विकसित करना।
6. पुरानी बसाहट एवं गन्दी बस्ती क्षेत्रों का पर्यावरणीय उन्नयन तथा अगम्य क्षेत्रों में पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
7. प्रमुख जलाशयों का भू-दृश्यीकरण, संरक्षण एवं विकास।
8. नगर वासियों की आकांक्षा के अनुरूप भू-उपयोग एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव तैयार करना।

1-2 fØ;kUo;u ifjn'; §

हरे भरे वृक्षों से आच्छादित, मनोरम पहाड़ियों की तराई में विध्यांचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित मैहर नगर, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं नगर के संस्पर्शी ग्रामीण पृष्ठभूमि के परिपेक्ष में सामयिक भूमिका निभाता है। यहां शंकु आकार पहाड़ी के उच्च शिखर में विराजमान माँ शारदा देवी की प्रसिद्धता विख्यात है। मुम्बई-हावड़ा रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 के यहां से गुजरने एवं उत्कृष्ट श्रेणी के लाइम-स्टोन की उपलब्धता से राष्ट्रीय स्तर की सीमेन्ट कम्पनियों की स्थापना हुई है। मैहर नगर पद्यम विभूषण से सम्मानित संगीतज्ञ स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खाँ (बाबा) की साधना स्थली होने एवं पोड़ी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र आदि की स्थापना के कारण यहां आर्थिक, धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक आदि गतिविधियों का चहुंमुखी विकास हुआ है।

1-3 fodkl ;ktuk fØ;kUo;u fLFkfr §

मैहर विकास योजना 2011 में क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर मैहर नगर के सुनियोजित विकास हेतु नागरिकों एवं संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता अर्जित करना लक्षित था। यद्यपि योजना के अनुरूप अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, किन्तु समग्ररूप से नगर का विकास हुआ है। माँ शारदा देवी पहाड़ी एवं उससे संलग्न क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक दुकानों, धार्मिक प्रतिष्ठानों धर्मशाला, प्राकृतिक धरोहर, रोपवे, पहाड़ी संरक्षण, तालाब एवं नहर के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास हुआ है। नगर विकास में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु केन्द्रवर्ती विकास के साथ वाणिज्यिक मार्गों का विकास/विस्तार, प्रमुख चौराहों, रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के साथ राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से मैहर नगर का विकास हुआ है। विकास योजना में दिये गये प्रस्तावों के अनुरूप अपेक्षित विकास निम्न कारण से प्रभावित हुआ है :-

1. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना, संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन व प्रक्रिया का अभाव।
2. नगरीय अधोसंरचना के लिए वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्त एवं समय पर अनुपलब्धता।
3. निजी निवेश क्षेत्र के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव।
4. पर्यावरण सुधार के लिए कारगर प्रबंधन का अभाव।
5. योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण का अभाव।
6. योजना क्रियान्वयन से संबंधित शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय एवं निजी संस्थाओं तथा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता का अभाव एवं संबंधित संस्थाओं के मध्य आवश्यक समन्वय का अभाव।
7. अधिकांश विकास के प्रस्ताव निजी भू-स्वामित्व में होने एवं अधिग्रहण का अभाव।

1-4 fodk l ;ktuk fØ;kUo;u@eY;kdu %&

मैहर विकास योजना में नगरपालिका परिषद् का 1036.0 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है। जिसमें मैहर खास एवं ग्राम घुरपुरा की 13.0 हैक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है। नगरपालिका से संलग्न समीपवर्ती ग्राम तिधरा कलां, कटिया, हरनामपुर, पटेहरा, उदयपुर एवं आरकण्डी आदि ग्रामों की 7548.18 हैक्टेयर भूमि में से नगर के भावी विकास हेतु विभिन्न भूउपयोगों अन्तर्गत 650.0 हेक्टर भूमि को मैहर विकास योजना में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इन प्रस्तावों में मैहर सीमेन्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान, माँ शारदा प्रबंध समिति प्रक्षेत्र का शिविर प्रांगण, पोड़ी मत्स्य बीज प्रजनन प्रक्षेत्र तथा रेलवे क्षेत्र गणना में सम्मिलित नहीं किया गया था। विकास योजना में दिये गये विकास प्रस्तावों को क्रियांवित कर योजना को मूर्तस्वरूप प्रदान किये जाने के लिए विभिन्न शासकीय, अशासकीय एवं निजी संस्थाओं की सहभागिता के साथ, नगर पालिका परिषद् मैहर को क्रियान्वयन करने का प्रमुख दायित्व शासन द्वारा सौंपा गया था किन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में नियोजित विकास प्रभावित हुआ है।

मैहर विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन की स्थिति का विवरण 1-सा-1 में दिया गया है –

fodk l ;ktuk fØ;kUo;u dh fLFkfr

1-सा-1

Ø-	Hkfe mi ;kx	fodk l ;ktuk 2011 e vkoVu ¼gDV;j e½	or'eku 2013 fodfl r {k= ¼gDV;j e½	mPp@de \$@&	fØ;kUo;u Lrj ¼ifr'kr e½
1.	आवासीय	296.18	432.20	+136.02	145.85
2.	वाणिज्यिक	48.75	15.14	—33.60	31.05
3.	औद्योगिक	75.00	189.00	+114.00	252.00
4.	सार्व. अर्द्ध सार्व. उपयोगिताएं एवं सेवाएं	63.53	47.68	—15.84	75.06
5.	आमोद-प्रमोद	42.17	6.70	—35.47	15.88
6.	यातायात एवं परिवहन	124.37	85.65	—38.72	68.87
	egk;kx	650-00	6223-00	&	&

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत मैहर नगर का विकास हुआ है। मैहर विकास योजना 2011 में नगर के भावी विकास हेतु 50,000 की जनसंख्या वृद्धि के अनुमान से 650 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था। जिसके विरुद्ध 776.37 हैक्टेयर भूमि का विकास विभिन्न भूमि उपयोगों अन्तर्गत हुआ है।

1-4-1 विकास; &

मैहर विकास योजना में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2011 में 296.18 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाना प्रस्तावित था। जिसमें अद्यतित सर्वेक्षण अनुसार निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 432.20 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। नगरीय बसाहट में मुख्य रूप से शारदा देवी मंदिर मार्ग पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित आवासीय कॉलोनी, रीवा-सतना धनवाही एवं करवी मार्ग पर योजना के अनुरूप विकास हुआ है। साथ ही कुछ ऐसे भी विकास हुये हैं, जो योजना में दिये गये उपयोग के स्थान पर निजी भूमि होने से आवासीय विकास हुआ है, जिसका विवरण सारणी 1-सा-2 अनुसार है।

विकास; विकास क्षेत्र

1-सा-2

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	विकास क्षेत्र 2011 के अनुसार विकास	विकास क्षेत्र 2013
1.	कटनी मार्ग के पूर्व जनपद कार्यालय से संलग्न क्षेत्र मैहर खास	सार्वजनिक एवं अर्द्धशासकीय	आवासीय
2.	कटनी मार्ग के पश्चिम ग्राम पटेहरा एवं मैहर खास	आवासीय	आवासीय
3.	देवधर तालाब के आसपास	आवासीय	आवासीय
4.	धनवाही मार्ग पर तहसील परिषद् के दक्षिण एवं पूर्व में	सार्वजनिक एवं अर्द्धशासकीय	आवासीय
5.	धनवाही मार्ग के पश्चिम में रेलवे लाइन के मध्य का क्षेत्र मैहर खास एवं हरनामपुर	आवासीय एवं खुला भंडारण	आवासीय
6.	धनवाही मार्ग बायपास मार्ग से संलग्न ग्राम हरनामपुर	विशेषीकृत वाणिज्यिक	आवासीय
7.	धनवाही मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न ग्राम हरनामपुर	आवासीय	आवासीय
8.	सतना मार्ग पर बाबा तालाब के पूर्व एवं पश्चिम तथा सुखवा तालाब के उत्तर में मैहर, खास	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा आवासीय	आवासीय
9.	लिलजी नदी के पश्चिम में ग्राम मानपुर	ट्रेचिंग ग्राउण्ड	आंशिक आवासीय शेष रिक्त

उपरोक्त विकास नगर पालिका परिषद् क्षेत्र एवं उससे संलग्न ग्राम जिसमें विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये थे, उसमें आवासीय विकास हुआ है, इसके साथ ही निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम

विशेष कर के.जे.एस. सीमेन्ट कम्पनी, मैहर सीमेन्ट प्लान्ट, सरला नगर तथा पोंडी मत्स्य बीज केन्द्र के समीपस्थ स्थित ग्रामों में भी आवासीय विस्तार हुआ है।

1-4-2 okf.kfT ; d §

मैहर नगर में सामान्य सामाजिक स्तर की मिश्रित वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हैं। विशेषीकृत बाजार का विकास नहीं हो सका है। विकास योजना में रहवासियों को निकटस्थ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर में चारों ओर तथा प्रमुख मार्गों के दोनों ओर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित किये जाने हेतु 48.75 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। जिसमें से प्रस्तावों के अनुरूप नगर का मध्यवर्ती क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गों के दोनों ओर 15.14 हैक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। विशेषीकृत बाजार हेतु धनवाही मार्ग पर हरनामपुर में कृषि उपज मण्डी हेतु प्रस्तावित स्थल विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त मालगोदाम, वर्गीकृत बाजार (विशिष्ट बाजार) यातायात नगर, फल एवं सब्जी बाजार आदि के विकास का प्रस्ताव निजी भूमि में होने से विकास नहीं हुआ है।

1-4-3 vk |kfxd §

उत्कृष्ट कोटि के लाइम स्टोन की उपलब्धता एवं माल परिवहन की सुगमता से आकर्षित, राष्ट्रीय स्तर की सीमेन्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण, मैहर नगर का औद्योगिक विकास हेतु 75.0 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरुद्ध 189.0 हैक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। यहां धनवाही मार्ग पर हरनामपुर, सोनवारी गिरगिटा, ग्राम में सामान्य उद्योग हेतु प्रस्तावित 36.0 हैक्टेयर भूमि उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहीत कर अर्द्धविकसित की गई है। मैहर में इसके अतिरिक्त ग्राम सोनवारी में निवेश क्षेत्र से संलग्न कृषि उपयोग के अन्तर्गत के.जे.एस. सीमेन्ट उद्योग तथा सोनवाही मार्ग पर मैहर सीमेन्ट उद्योग विकसित है।

1-1-4 l kot fud ,o v)& l kot fud §

विकास योजना 2011 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विकास हेतु 63.53 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, उसमें से 47.68 हैक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। मैहर तहसील स्तर का नगर है, जिसमें चिकित्सालय और उससे संलग्न भूमि को विकसित किया जाकर 40 बिस्तर से बढ़ाकर 300 विस्तर किया जाना प्रस्तावित था। इस चिकित्सालय में संक्रामक बीमारियों को छोड़कर विशेषीकृत चिकित्सा की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु स्थिति पूर्ववत हैं। अतः चिकित्सालय का विस्तार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के पूर्व एवं पश्चिम में रिक्त भूमि पर नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, चिकित्सा केन्द्र इत्यादि के विकास हेतु 10.0 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसकी सुविधा नगरवासियों को प्राप्त नहीं हो सकी है।

शैक्षणिक सुविधा हेतु नगर में विद्यालय, संगीत महाविद्यालय, हायर सेकेन्ड्री, मीडिल एवं प्रायमरी नर्सरी स्कूल संचालित है। प्रशासनिक क्षेत्र में तहसील कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालय यथास्थिति संचालित है, विस्तार हेतु प्रस्तावित स्थल, निजी भूमि होने तथा उसके अधिग्रहण के अभाव में उस स्थान पर आवासीय विकास हो गया है। इसी प्रकार प्रस्तावित स्थलों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भवन का विकास नहीं हुआ है।

नगर केन्द्र में प्रमुख मार्गों पर दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु सामुदायिक भवन एवं धर्मशालाओं का विकास हुआ है। सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं के अन्तर्गत तत्कालीन विद्युत उपकेन्द्र यथावत संचालित हैं। नगरवासियों की आवश्यकता के अनुसार विद्युत उपकेन्द्र संचालित हुये हैं। कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट की सुविधा यथावत है तथा ग्राम मानपुर में लिलजी नदी के पार प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउण्ड के स्थल पर कुछ आवासीय विकास हो गया है, शेष भूमि रिक्त है।

1-4-5 vkekn&iekn §

विकास योजना में आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु 42.17 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 6.70 हैक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। देवी जी मार्ग पर ग्राम आरकण्डी में हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हरित क्षेत्र एवं तालाब के विकास के कारण पर्यावरणीय सुविधा नगरवासियों को उपलब्ध हो रही है, इसके अतिरिक्त योजना में प्रस्तावित नगर उद्यान तरणताल, जलाशयों का विकास नहीं हुआ है। खेल हेतु जेल मार्ग पर स्टेडियम का विकास हुआ है, जो नगर स्तर की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

1-4-6 ;krk;kr ,o ifjogu §

विकास योजना में 124.37 हैक्टेयर भूमि यातायात उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई थी। देवी जी मार्ग पर जेल के पास बस स्थानक के विकास के साथ-साथ नगर के मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7, रीवा मार्ग एवं कटनी मार्ग से आने वाले यातायात को नगर के बाहर दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में बायपास करने हेतु मार्ग विकास के प्रस्ताव दिये गये थे जिसे स्थल पर सीमांकन कर, स्थल संरक्षित किया गया है, किन्तु बायपास मार्ग अभी विकसित नहीं हो सका है। नगर के अन्य प्रस्तावित नगरीय मार्गों का विकास नहीं हुआ है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के यातायात हेतु, पहुँच मार्गों का विकास हुआ है, जिसके आधार पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार 85.65 हैक्टेयर भूमि विकसित हुई है जो विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव का 68.87 प्रतिशत है।

1-5 Hkkfrd Lo : i §

मैहर नगर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में 24°25' उत्तरी अक्षांश एवं 80°15' पूर्वी देशान्तर के मध्य समुद्र सतह से लगभग 316 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। नगर के पश्चिम की ओर शंक्वाकार पहाड़ी पर माँ शारदा देवी का मंदिर है। नगर के पूर्व में लगभग 4 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण से उत्तर-पूर्व की ओर लिलजी नदी प्रवाहित होकर उत्तर-पूर्व की ओर टमस नदी में मिलती है। नगर के आस-पास के क्षेत्र में चूना पत्थर तथा पटियां पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। नगर का सामान्य ढाल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर है।

1-6 t yok;| §

नगर की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है। जुलाई से अक्टूबर तक यहां सामान्य वर्षा होती है। नवम्बर से जनवरी शीतकाल तथा अप्रैल से जून ग्रीष्मकाल रहता है। नगर में 2011-12 की औसत वार्षिक वर्षा 876.00 मि.मी. रिकॉर्ड की गई है। ग्रीष्मकाल में नगर का अधिकतम तापमान 48°

सेल्सियस एवं शीतकाल में न्यूनतम 6° सेल्सियस से नीचे तक पहुंच जाता है। नगर में मार्च से सितम्बर माह की अवधि में वायु प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति में रहती है। माह अक्टूबर से फरवरी की अवधि में प्रातः के समय वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर तथा संध्या के समय पूर्व से उत्तर की ओर रहती है। इस अवधि में वायु प्रवाह की गति सामान्य रहती है जो मानव जीवन हेतु उपयुक्त है।

1-7 ,frgkfld i"BHkfe §

मैहर की महत्ता प्रमुख रूप से माँ शारदा देवी मंदिर की स्थापना से है। इनकी प्रथम पूजा लगभग 2000 वर्ष पूर्व तत्समय के आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिसकी 10वीं शताब्दी का शिलालेख आज भी प्रमाण स्वरूप विद्यमान है। इसी प्रकार महोबा (उ.प्र.) के शासक परमवीर आल्हा जो माँ शारदा देवी के अनन्य भक्त थे, के संबंध में यह मान्यता है कि अमर स्वरूप आल्हा आज भी देवी जी की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। माँ शारदा देवी पहाड़ी की तलहटी में आज भी अखाड़ा एवं बाबड़ी उनके नाम से स्थित है। माँ शारदा देवी दर्शनार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

पद्मविभूषित स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां (बाबा) जो कि माँ शारदा देवी के अनन्य भक्त थे, का मैहर की ख्याति में अति महत्वपूर्ण योगदान है। यह नगर तत्समय उनकी साधना स्थली रहा है इसके कारण देश-विदेश के समस्त संगीतज्ञ आज भी मैहर नगरी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं तथा वर्ष में एक बार होने वाला मैहर उत्सव, जो बाबा की समाधि पर ही मनाया जाता है, में भाग लेते हैं।

मुम्बई हावड़ा रेलवे लाइन की स्थापना 1865 के साथ ही मैहर का विकास प्रारंभ हुआ था। मैहर चूना उद्योग, मैहर सीमेन्ट उद्योग एवं पोड़ी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की स्थापना नगर विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रशासनिक स्तर पर मैहर, तहसील मुख्यालय है।

1-8 ek 'kkjnk noh ic/ku lfevr §

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 24 मई, 1999 के अनुसार माँ शारदा देवी प्रबंधन समिति, मेला अधिनियम 1998 एवं म.प्र. राजपत्र विधानसभा सचिवालय भोपाल दिनांक 08 अप्रैल 2002 द्वारा पारित म.प्र. माँ शारदा देवी मंदिर विधेयक 2002 से मंदिर समिति/मेला प्रांगण/मंदिर प्रांगण के आधिपत्य संरक्षण एवं प्रबंधन अधिसूचित खसरो के कुल रकबे ग्राम कोलाहाई रकबा 48.643 हैक्टेयर एवं ग्राम अरकंडी रकबा 264.029 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 312.672 हैक्टेयर अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के होने वाले विकास कार्य व गतिविधियां माँ शारदा देवी प्रबंधन समिति के संरक्षण में माँ शारदा देवी मंदिर विधेयक 2002 के प्रावधानानुसार संचालित होने का प्रावधान है।

ek 'kkjnk noh dk vkuoky n'kukfFk;k dh I[;k

1—सा—3

Ø.	io@lkekU; fnoI	ey dh vof/k	vkuoky n'kukfFk;k dh I[;k ifrfnu	n'kukfFk;k dh dy I[;k
1.	चैत्र नवरात्र मेला	10	1.50 लाख	15.00 लाख
2.	अश्विनी नवरात्र मेला	10	1.25 लाख	12.50 लाख
3.	दीपावली पर्व	3	0.75 लाख	2.25 लाख
4.	नूतन वर्ष मेला	1	1.50 लाख	1.50 लाख
5.	सामान्य दिवस	प्रतिदिन	15 हजार	51.00 लाख

ek 'kkjnk noh ef nj lfe fr ifj l j d vr xr miyC/k lfo/kk; %

- o)kJe %** मैहर समिति द्वारा वृद्धजनों को निःशुल्क रखा जाता है। जिसमें वर्तमान में 60 वृद्धजन निवास करते हैं।
- 'k{f.kd lLFkk %** समिति द्वारा बच्चों को पढ़ाने हेतु विद्यालय संचालित हैं, जिसमें लगभग 180 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
- e.Mu lLdkj %** इस हेतु समिति द्वारा अलग से नाई बाड़ा संचालित है।
- dFkk lLdkj %** इस हेतु समिति द्वारा कथावाचक भवन संचालित है।
- okf.kfT;d %** शारदा माता मंदिर समिति द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधाओं हेतु खोली गई :-
दुकानों की संख्या निम्नानुसार है :

रामपुर मोड पर	31
फब्बारा से प्रथम सीढ़ी तक	89
वाहन पार्किंग कॉम्प्लेक्स	97
यात्री निवास क्रमांक-1 के सामने	15
- fuok l %Bgju gr 0;oLFkk%**

यात्री निवास एक — कमरों की संख्या	— 13
हॉलों की संख्या	— 7
यात्री निवास दो — कमरों की संख्या	— 24
हालों की संख्या	— 7
यात्री निवास तीन — कमरा संख्या	— 60
- भोजन की व्यवस्था हेतु केन्टीन नं. — 3 बनाई गई है।
- यात्रियों के आवागमन की सुविधा : रेलवे स्टेशन से देवी जी के मंदिर तक ऑटो रिक्शा एवं मंदिर समिति की ओर से बस की सुविधा उपलब्ध है।
- n'ku gr lfo/kk %&** (1) रोपवे (2) मारुती वेन (3) एम्बुलेंस—1

fodk l ifjn'; ,o ÁLrkfor uxj l jpuk

2-1 {k=h; ,o mi{k=h; l nHk %

मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सतना जिले की मैहर तहसील का मुख्यालय मैहर नगर माँ शारदा देवी की ख्याति से पवित्र धार्मिक स्थल है। यह ऐतिहासिक/धार्मिक नगर होने के साथ ब्राडगेज मुम्बई—हावड़ा पश्चिम मध्य रेलवे लाइन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक—7 पर स्थित होने से सुगम यातायात एवं उच्च कोटि के लाइन स्टोन की उपलब्धता के कारण सीमेन्ट उद्योग के कार्य केन्द्र तथा क्षेत्रीय परिवेश में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र तथा नर्मदा घाटी बरगी नहर से कृषि उत्पाद में वृद्धि आदि कारणों से क्षेत्र में विकसित हो रहा है।

पवित्र धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल की ख्याति से दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों की संख्या में वृद्धि मैहर उद्योग, के.जे.एस. सीमेन्ट उद्योग, निवेश क्षेत्र के बाहर समीपस्थ में लाइम सीमेन्ट उद्योग, के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा सीमेन्ट उद्योग, के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा यातायात की सुगमता से प्रदेश एवं देश के विभिन्न नगरों से जुड़ा होने आदि कारणों से मैहर नगर तीव्र गति से बढ़ रहा है।

2-2 fodk l ;ktuk 2031 dh vo/kkj.kk %

मैहर विकास योजना 2031 प्रमुखतः पूर्व में तैयार की गई मैहर विकास 2011 को आधार मानते हुये तैयार की गई है। मैहर निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर की भावी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर नगर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुये भावी कार्यकलापों, प्रबंधन संवेदनशील क्षेत्रों एवं नगर स्तरीय, खण्ड उपखण्ड तथा ग्रामस्तरीय यातायात की सुगमता, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का उपयुक्त प्रबंधन तथा दर्शनार्थियों एवं सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक सेवा सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया है, ताकि मैहर नगर के कार्य कलाप के अनुसार भावी विकास को एक सुनियोजित प्रतिरूप प्राप्त हो सके। इस विकास योजना में भावी विकास से संबंधित गतिविधियों एवं बहुआयामी विकास निति का समावेश किया गया है।

2-3 fuo'k {k= %

मैहर निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अधिसूचना क्रमांक 1523/1827/बत्तीस/77 भोपाल दिनांक 23 अप्रैल 1977 द्वारा किया गया, जिसमें नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सम्मिलित मैहर खास तथा घुरपुरा की 13 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 1036 हैक्टेयर था तथा समीपवर्ती 21 नवीन ग्रामों को समाहित किया गया। इस प्रकार मैहर निवेश क्षेत्र का कुल नगरीय क्षेत्रफल राज्य शासन द्वारा 75488.18 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित कर, सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र मैहर नगरपालिका सीमा में दिनांक को वृद्धि की गई है। जिसमें 21 नवीन ग्राम को जोड़ा गया है। जिससे नगरपालिका सीमा का क्षेत्रफल

3798.13 हैक्टेयर हो गया है। मैहर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय एवं ग्रामवार क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का विवरण सारणी 2-सा-1 में दिया गया है।

फुओ'क {k=

2-सा-1

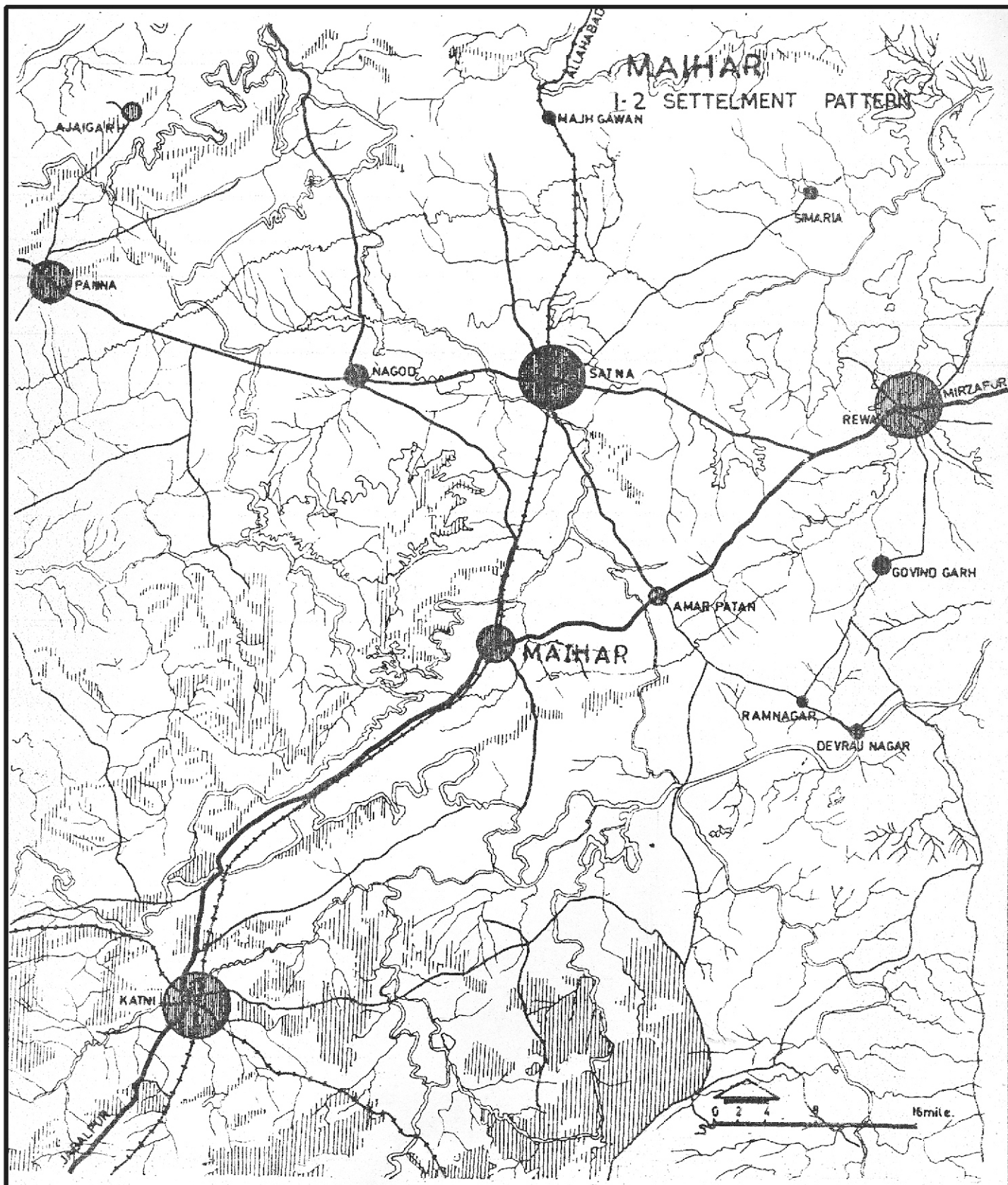
Ø-	xke@uxjh; xke	{k=Qy %gDV; j e%	tul[;k	
			2001	2011
1	2	3	4	5
(अ)	नगरपालिका परिषद्	183.00	—	—
1.	नगरी क्षेत्र (मैहर एवं धूरपुर)	605.696	34342	40078
2.	ग्रामीण क्षेत्र (योग)	3192.487	13456	18341
	1. भानपुर	502.937	1043	1371
	2. उमीपैला	290.419	1397	2236
	3. अमिलिया खुर्द	130.837	476	614
	4. गिरगिटा	262.279	681	843
	5. तिघरा कलां	215.598	844	1109
	6. कटिया कलां	205.631	945	1232
	7. हरनामपुर	310.909	1375	1961
	8. हरदुआ कलां	150.000	1202	1437
	9. आमड़ा	81.551	230	239
	10. पटेहरा	134.817	651	1253
	11. उदयपुर	243.917	2493	3132
	12. अरकण्डी	663.592	2119	2914
	;kx fuo'k {k= %v%	3798-183	47798	58419
%C%	fuo'k {k= e l fefyr xkek dk uke			
	1. पोड़ी	816.640	4264	4928
	2. गणेशपुर	34.840	112	163

uxj ifj"kn

2—सा—2

Ø.	xke dk uke	{k=Qy	fuo'k {k= l hek e l fefyr xke	{k=Qy %gDV; j%	fuo'k {k= d ckgj xke	{k=Qy %gDV; j%
1.	मनपुर	502.930	पोडी	816.44	बैलाखास	90.190
2.	उमरीपैला	290.419	गणेशपुर	34.84	परसोखा	244.824
3.	पैलाखास	90.190	कुशियारी	45.79	लखनपुर	99.762
4.	परसोखा	244.824	बूढ़ा	31.28	लखवार	135.837
5.	लखनपुर	99.762	करैयाबिजूरिया	136.22	कोलहाई	726.394
6.	लखवार	135.364	कुटाई	389.64		
7.	अमिलिया	130.837	डाडी	166.57		
8.	गिरगिता	262.279	सोनवारी	1614.97		
9.	तिघराकला	215.598				
10.	कटियाकला	205.631				
11.	हरनामपुर	310.909				
12.	हरदुआकला	150.000				
13.	अमढ़ा	81.551				
14.	पटहरा	134.817				
15.	उदयपुर	243.917				
16.	कोलहाई	726.394				
17.	अरकण्डी	663.592				
	dy ;kx	4489-02				
	uxjh; {k=	605-696				
	egk;kx	5094-717	8 xke	3235-75	5 xke	1297-00

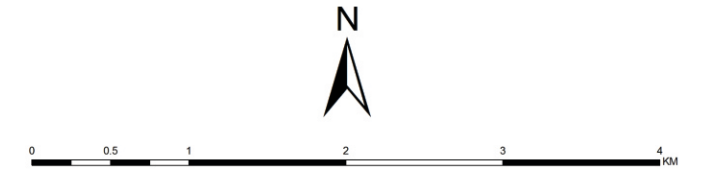
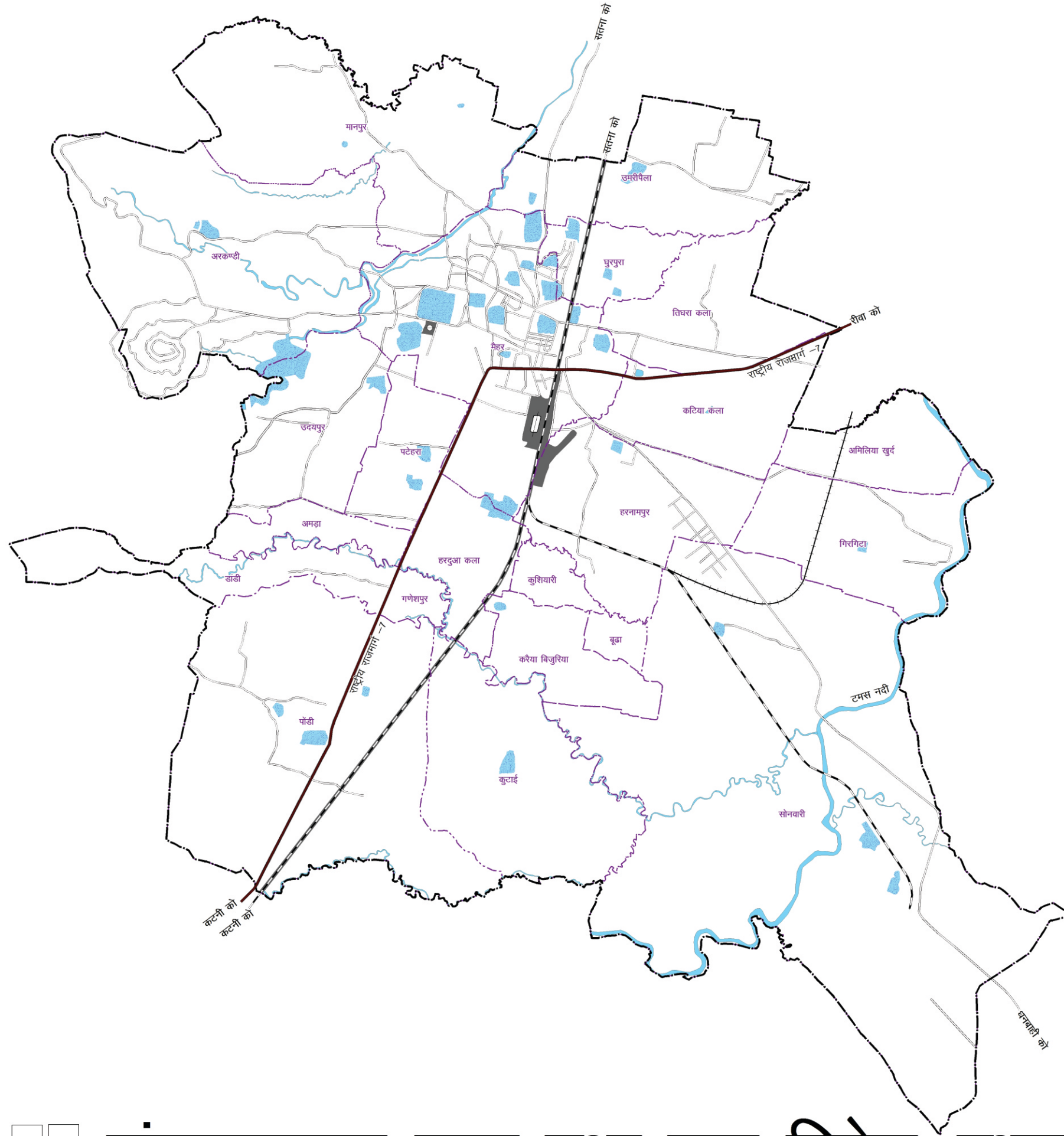
उपरोक्त तालिका के अनुसार मैहर निवेश क्षेत्र के बाहर ग्राम (1) बैलाखास (ओइला) (2) परसोखा (3) लखनपुरा (4) लखवार (5) कोलहाई है तथा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत (1) पोडी (2) गणेशपुर (3) कुशियारी (4) बूढ़ा (5) करैयाविजूरिया (6) कुटाई (7) डाडी (8) सोनवारी, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र से बाहर, निवेश क्षेत्र में सम्मिलित है, जिसमें मैहर, घुरपुरा (वर्तमान क्षेत्र)



मैहर निवेश क्षेत्र

संकेत

PLANNING AREA BOUNDARY		निवेश क्षेत्र सीमा
VILLAGE AREA BOUNDARY		ग्राम क्षेत्र सीमा
NATIONAL HIGHWAY		राष्ट्रीय राजमार्ग
ROAD		मार्ग
WATERBODY		जलाशय



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 21.02.2014



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

605.696 हैक्टेयर तथा 17 ग्राम जिसका क्षेत्रफल 4489.02 हैक्टेयर को सम्मिलित करने से नगर पालिका परिषद् मैहर का कुल क्षेत्रफल 5094.717 हैक्टेयर है। वार्डों का विभाजन वर्तमान में विचाराधीन है।

2-4-1 uxj ikfydk ifj"kn dh foRrh; fLFkfr %

विकास योजना 2011 में नगर पालिका परिषद् की आय-व्यय संबंधी स्थिति वर्ष 1999-2000 में क्रमशः 98.47 तथा 77.51 लाख रुपये थी, जिसमें वर्षानुसार वर्ष वृद्धि होकर वर्ष 2009 से प्राप्त अनुदान राशि एवं अन्य संसाधनों से प्राप्त आय के अनुसार नगर विकास में किये गये व्ययों का विवरण सारणी 2-सा-3 अनुसार है।

egj % uxj ikfydk ifj"kn vk;&0;;

2-सा-3

o"K	vk; %yk[k #i; e%	0;; %yk[k #i; e%
2009	572.5	536.8
2010	738.3	734.6
2011	807.06	689.5
2012	839.39	791.2
2013	660.56	648.75

स्तोत्र : नगर पालिका परिषद्।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मैहर नगर पालिका की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद है, यहां आय एवं व्ययों का संतुलित सामंजस्य है।

2-5 tul[;k ifjor'u %

मैहर नगर प्रथम बार वर्ष 1901 में नगर श्रेणी में शामिल हुआ तथा सामान्य गति से जनसंख्या दर में वृद्धि होती रही, वर्ष 1971 से 1981 के दशक में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। इस तीव्रगति का प्रमुख कारण नगर में कृषि आधारित व्यापार-वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास के साथ दर्शनार्थियों के प्रवास एवं बसाहट की स्थिति का प्रभाव परिलक्षित होता है। यही स्थिति 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य अनुपात से अधिक हुई है, किन्तु वर्ष 2001 से 2011 में नगर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, जिसका प्रमुख कारण नगर में संचालित चूना भट्टा उद्योग का बन्द हो जाना तथा निवेश क्षेत्र सीमा पर स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य संबंधित व्यवसायियों का औद्योगिक संस्थान के निकटस्थ ग्रामीण परिक्षेत्र में आधिवासित होना है। नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-4 में दर्शाई गई है :-

egj % tul[;k of)

2-सा-4

o"k	tul[;k	ifr'kr	xkeh.k tul[;k	ifr'kr	uxj + xke tul[;k	ifr'kr
1951	9,397	—	—	—	—	—
1961	12,115	28.92	—	—	—	—
1971	15,177	25.27	—	—	—	—
1981	20,261	33.50	—	—	—	—
1991	26,216	29.39	—	—	—	—
2001	34,342	31.00	29,642	—	63,984	—
2011	40,078	16.70	35,510	19.80	75,588	18.13

Lrk= % भारत की जनगणना।

2-6 vuekfur tul[;k %

सामान्यतः भावी जनसंख्या वृद्धि का आंकलन नगर एवं नगरीय परिवेश के निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की विगत दशकों की जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुये नगर में उपलब्ध भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों के आधार पर आंकलित किया गया है। यद्यपि मैहर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर में वर्ष 2011 के दशक में कमी हुई है। जिसका प्रमुख कारण नगर में संचालित चूना भट्टा बन्द हो जाने से कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों का प्रवासित होना है। किन्तु नगर में दर्शनार्थियों की संख्या निरंतर वृद्धि होने, कृषि एवं खनिज आधारित व्यापार/व्यवसाय तथा राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों की स्थापना के प्रभाव से, निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की भावी जनसंख्या में वृद्धि की प्रबल संभावना के आधार पर वर्ष 2021 की जनसंख्या 0.95 लाख एवं वर्ष 2031 की 1.20 लाख जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है।

vuekfur tul[;k

2-सा-5

Ø-	o"k	tul[;k	ifr'kr	xkeh.k tul[;k	ifr'kr	uxj + xke tul[;k	ifr'kr
1	2021	52100	30.00	42900	20.81	95000	25.68
2	2031	68000	30.52	52000	21.21	120000	26.32

L=kr % औसत वृद्धि दर।

2-7 0;olkf;d ljpuk %

नगर की आर्थिक एवं व्यवसायिक संरचना का अनुमान विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 2001 नगर में 11493 व्यक्ति एवं वर्ष 2011 में 14982 व्यक्ति कार्यशील रहे हैं, जिनका विवरण सारणी 2-सा-6 अनुसार है।

Jfedk dk fooj.k

2-सा-6

o"k	Jfedk dh l[;k
1991	8622
2001	11493
2011	14982

2-8 ;ktuk dkykof/k %

विकास योजना वर्ष 2031 की कालावधि के लिये तैयार की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव विकास योजन में निर्धारित कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते जैसे सेवा-सुविधाएं, मार्ग, जलप्रदाय आदि यथा स्थिति आवश्यकतानुसार संचालित रहेंगे। क्योंकि ये विकास योजना कालावधि के बाद भी विकास के लिए आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे। अतः मैहर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के बाद भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतुष्ट होने तक प्रभावशील रहेंगे।

2-9 ;ktuk mnn'; rFkk y{; %

मैहर के लिए संतुलित एवं सुनियोजित विकास को दिशा प्रदान करना ही विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आवश्यकतानुसार निर्धारणकर उनका युक्ति-युक्त इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि नगरवासियों को स्वास्थ्यकर एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके। मैहर विकास योजना बनाते समय निम्न मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

01. भूमि का समुचित उपयोग
02. नगर में नये व्यावसायिक केन्द्र का प्रावधान कर वर्तमान विकसित क्षेत्र की गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करना।
03. दक्ष एवं सक्षम यातायात संरचना के माध्यम से नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र एवं बाह्य क्षेत्र तथा देवी जी दर्शनार्थियों हेतु समुचित सामंजस्य स्थापित करना।
04. प्रशासनिक केन्द्र के रूप में नगर का विकास एवं नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों का प्रावधान।

05. नगरीय एवं अन्तर्नगरीय यातायात हेतु परिभ्रमण संरचना उपलब्ध कराना ताकि नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण किया जा सके।
06. नगर के भावी एवं वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि का निर्धारण।
07. नगर में स्थित नदी, नालों एवं तालाबों के पर्यावरण सुधार तथा वृक्षारोपण का प्रावधान।
08. मूलभूत सेवा-सुविधाओं को प्रावधान।
09. प्राकृतिक भू-दृश्य एवं देवी जी पहाड़ी के क्षरण होने से संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुधार।
10. गन्दी बस्तियों का सुधार एवं उन्नयन।

2-10 uxj d e[; dk; dyki ¶

सतना जिले में तहसील स्तर का मुख्यालय मैहर पवित्र धार्मिक नगर के रूप में तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना शासन की आर्थिक नीतियों एवं नगरीय अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन होने से यही अवधारणा की जा सकती है कि मैहर नगर का भावी कार्य स्वरूप निम्नानुसार होगा।

- (क) तहसील स्तर का प्रशासनिक केन्द्र।
- (ख) धार्मिक पर्यटन सह सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र।
- (ग) कृषि एवं खनिज आधारित औद्योगिक एवं व्यापार वाणिज्यिक केन्द्र।
- (घ) दर्शनार्थी सेवा संबंधी गतिविधि केन्द्र।
- (ङ) मध्य स्तरीय सेवा उद्योग केन्द्र।
- (च) तहसील स्तरीय शैक्षणिक एवं चिकित्सा केन्द्र।

2-11 fu;ktu vo/kkj.kk ¶

नगर का स्वरूप एवं आकार प्राकृतिक संरचना पर आधारित होता है, वहां की स्थलाकृति, नदी, नाले, तालाब, पोखर, पहाड़, पठार, वन, आदि नगर के भौतिकस्वरूप को प्रभावित करते हैं। मैहर नगर के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिमी भाग में पठारी श्रृंखला, उत्तर में लिलजी नदी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में टमस नदी प्रवाहित होती है, शेष क्षेत्र तालाबों के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र हैं। पश्चिम की शंख के आकार की पहाड़ी श्रृंखला पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माँ शारदा देवी मंदिर स्थित है, जिसके तराई क्षेत्र में पूर्व की ओर दर्शनार्थियों हेतु सेवा सुविधाएं एवं मेला स्थल के विकास के साथ पर्यावरणीय की दृष्टि से हरित क्षेत्र विकसित है –

नगर नियोजना अवधारणा की परिकल्पना दर्शनार्थियों, औद्योगिक संस्थानों, कृषि कार्य केन्द्रों से प्रभावित दोनों के साथ-साथ नगरवासियों हेतु सुनियोजित नगरीय विकास तथा सक्षम परिभ्रमण संरचना पर आधारित है। मध्यवर्ती नगरीय क्षेत्र से कटनी-रीवा को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 गुजरता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 के क्षेत्रीय यातायात को परिवर्तित करने हेतु बायपास मार्ग प्रस्तावित है, जिसके लिये अधिग्रहण किया जा चुका है। रेलवे लाइन ओवर ब्रिज के

निर्माण से यातायात सुगम हुआ है। नगर का मध्यवर्ती क्षेत्र आवासीय, वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ मिश्रित उपयोग की संरचना से सघनता निर्मित हो रही है, जिसे यातायात की सुगमता की संरचना के साथ नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकसित किये जाने का प्रस्ताव दिया जाना युक्त संगत होगा। इसी अवधारणा से मैहर रेलवे लाइन के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों के किनारे वाणिज्यिक एवं उसी गहराई में यथानुरूप आवासीय, सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक एवं सेवा सुविधाओं तथा नगर एवं क्षेत्रीय स्तर के उद्यान पर्यावरणी विकास किये जाने के साथ, धनवाही मार्ग पर खनिज की उपलब्धता के कारण औद्योगिक विकास की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये, विकास योजना 2031 में मैहर के समग्र उपयोगों में आपसी समन्वय रखते हुये, ग्रामीण अंचल के यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से, परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित की गई है। इस संरचना एवं भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करते समय मैहर के धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं कृषि स्वरूप का विशेष ध्यान रखा गया है। पहुँच मार्गों का विकास भी इसी तारतम्य में प्रस्तावित किया गया है ताकि नगर का चहुँमुखी विकास हो सके। साथ ही वर्ष में नवरात्रि (क्वार मास) एवं चैत्र मास में आयोजित 10-10 दिवसीय नवरात्री मेला एवं महत्वपूर्ण पर्व त्यौहारों पर देश, प्रदेश एवं विभिन्न क्षेत्रों से माँ शारदा देवी के दर्शन हेतु दर्शनार्थियों का भारी जनसैलाब उमड़ता है। इस भीड़ को नगर के बाह्य क्षेत्र से ही देवी माता के मंदिर स्थल पर पहुँचने हेतु सुगम मार्गों की संरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिससे नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में यातायात का भारी दबाव न पड़ सके।

2-12 iLrkfor Hk mi ;kx ,o Hk vkoVu o"K 2031 %

नगर के भावीस्वरूप जनसंख्या वृद्धि तथा उनकी आवासीय वाणिज्यिक अधोसंरचना सेवा-सुविधाएं आमोद-प्रमोद यातायात एवं परिवहन इत्यादि की आवश्यकताओं का आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत प्रस्ताव दिए गए हैं। वर्तमान भू-उपयोग विश्लेषण के अनुसार नगर में 10.26 हैक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के मान से भूमि निवेश क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत है। विकास योजनाओं में वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 1,20,000 हेतु 11.04 हैक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भूमि उपयोगिता दर प्रस्तावित करते हुए भूमि उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिसके आधार पर नगर का सकल घनत्व 85 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर आता है जो एकल परिवार की प्रवृत्ति को देखते हुए उचित है।

egj & Hkfe vkoVu & 2031

2-सा-7

Ø.	Hkfe mi ;kx	or'eku fodfl r {k= 2013 gDV; j e	ifr 'kr	nj	iLrkfor {k= 2031 gDV; j e	ifr 'kr	nj
1.	आवासीय	432.20	55.67	5.72	692.00	49.03	5.07
2.	वाणिज्यिक	15.14	01.95	0.20	95.14	6.74	0.79

3.	औद्योगिक	189.00	24.34	2.50	224.00	15.87	1.86
4.	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं	47.68	06.14	0.63	91.38	6.47	0.76
5.	अमोद-प्रमोद	6.7	0.86	0.08	136.70	9.68	1.13
6.	यातायात एवं परिवहन	85.65	11.04	1.13	172.30	12.21	1.43
	;kx	776-37	100	10-26	1411-52	100-00	11-04

L=kr § नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण।

2-13 Hkfe mi ;kx Ijpuk §

मैहर विकास योजना 2011 में अन्य नगरों की भांति ही मिश्रित उपयोग की अवधारणा अपनाते हुये भूमि विकास के प्रस्ताव दिये गये थे। अद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित विकास के साथ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विकास अधिक हुआ है, जिसका प्रमुख कारण आस-पास के क्षेत्रों से संलग्न नवीन स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठान सरला नगर, मैहर सीमेन्ट प्लांट, के.जे.एस. सीमेन्ट उद्योग, रिलायन्स सीमेन्ट उद्योग प्रमुख हैं, जिसमें कार्यरत श्रमिक वर्ग एवं अन्य आय वर्ग के लोगों द्वारा कीमती शहरी भूमि को क्रय करने की असमर्थता के कारण अपने कार्यक्षेत्र के निकटस्थ संस्पर्शी ग्रामों में बसे हुये हैं।

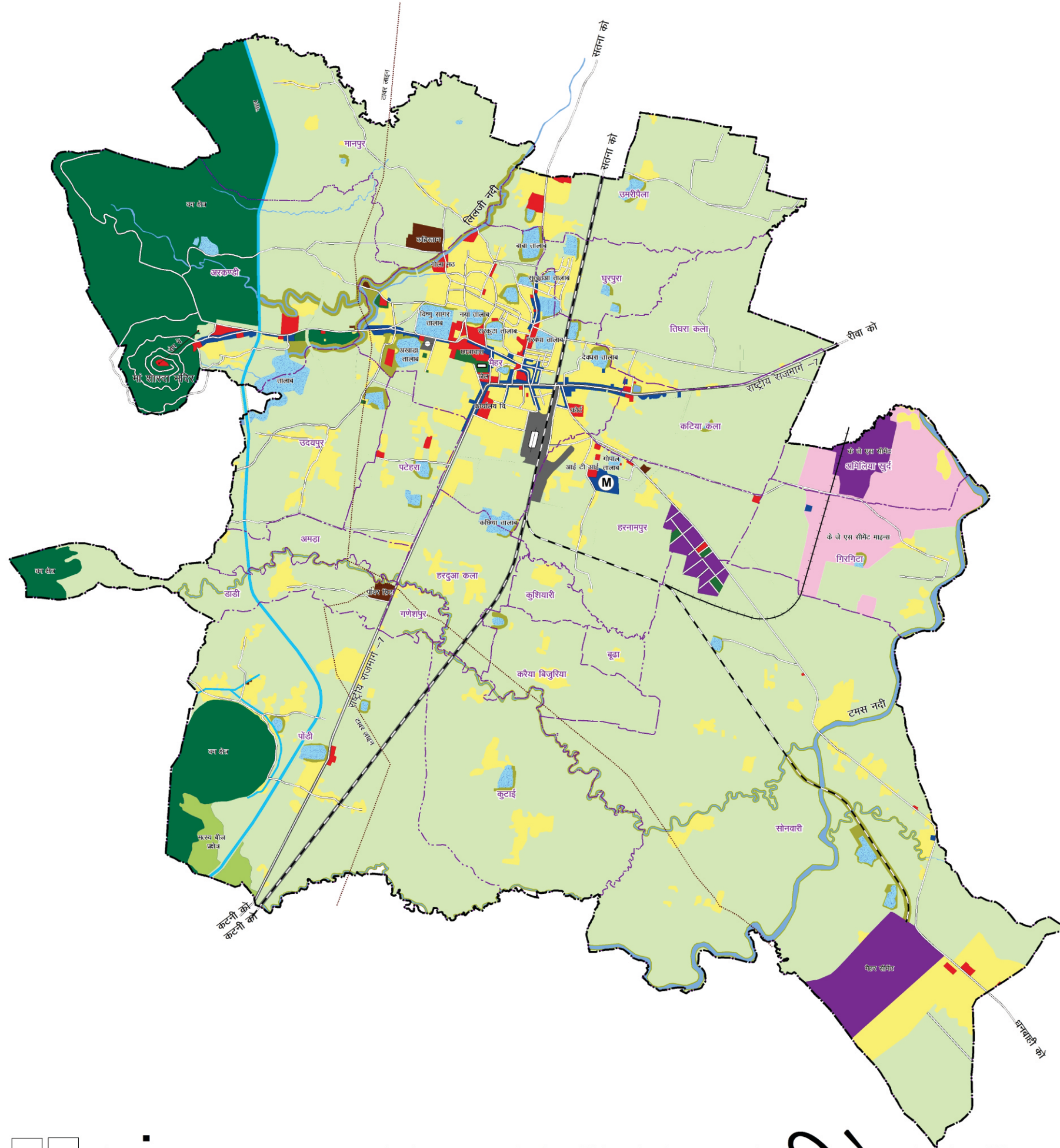
नगर विकास की स्थिति में उत्तर की ओर सतना मार्ग पर निवेश क्षेत्र सीमा तक विकास लगभग पूर्ण हो जाने से भावी विकास के प्रस्ताव नहीं दिए जा सकते। पश्चिम में माँ शारदा देवी मार्ग पर आस-पास का क्षेत्र लगभग विकसित हो गया है। अरकंडी क्षेत्र में यत्र-तत्र रिक्त भूमि है जिसमें भावी विकास के प्रस्ताव दिये गये हैं। इसी प्रकार नगर के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में भावी विकास के प्रस्ताव दिये गये हैं।

वर्तमान औद्योगिक संस्थानों एवं मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ ग्राम विस्तार में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार समस्त नगरीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए, नगर के भावी विकास हेतु 1411.52 हैक्टेयर भूमि विकसित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें 1.20 लाख जनसंख्या समाहित होगी जिसकी भूमि उपयोगिता दर 11.04 हैक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से प्रस्तावित है, जो नगर की सकल घनता 85 व्यक्ति प्रती हैक्टेयर दर्शाता है।

2-13-1 vkoklh; mi ;kx §

नगर का स्वरूप अर्द्धनगरीय है। नगर का पुराना बस्ती क्षेत्र एवं कटरा बाजार सबसे पुरानी बसाहट है, जो प्राचीन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी, यह क्षेत्र अत्यन्त सघन एवं प्रमुख गतिविधियों का केन्द्र है इस कारण इस क्षेत्र का घनत्व नगर के औसत घनत्व से अधिक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में भावी आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में 432.20 हैक्टेयर भूमि के विरुद्ध 692 हैक्टेयर भूमि 49.03 प्रतिशत है जोकि 5.07 हैक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या की दर से प्रस्तावित की गई है एवं जिसका आवासीय घनत्व 189 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। निवेश क्षेत्र

मैहर वर्तमान भूमि उपयोग



संकेत

RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
INDUSTRIAL		औद्योगिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES		सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
STADIUM		स्टेडियम
TRANSPORTATION		यातायात
ROADS		मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY STATION		रेलवे स्टेशन
RAILWAY LINE		रेलवे लाईन
WATERBODIES		जलाशय
FOREST AREA		वन क्षेत्र
AGRICULTURE		कृषि
FISH FARM		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 21.02.2014



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

MAIHAR

DEVELOPMENT PLAN
2031

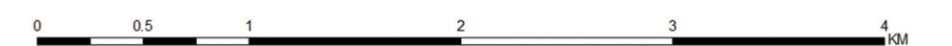
मैहर

विकास योजना
2031

संकेत

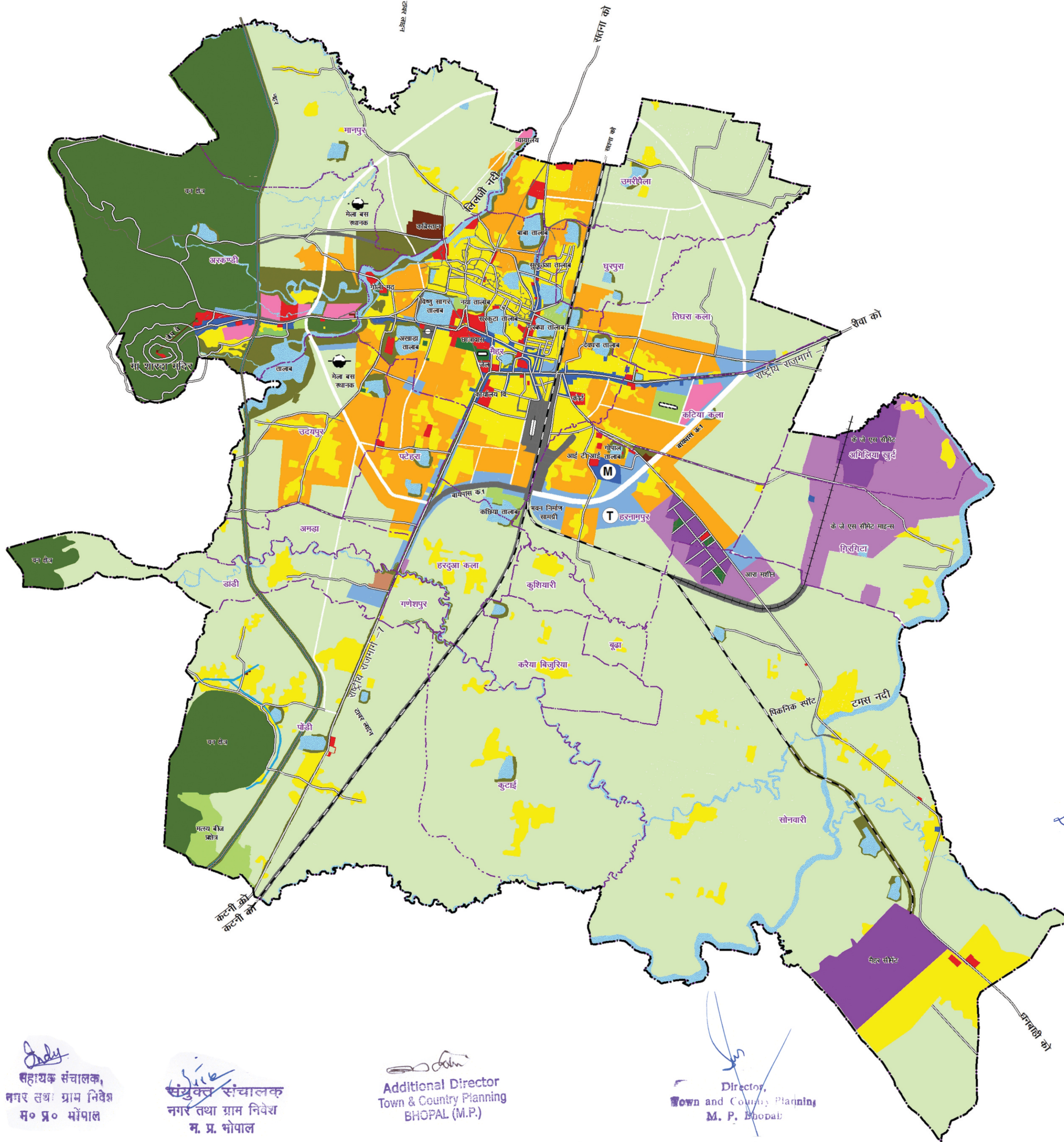
EXISTING PROPOSED
वर्तमान प्रस्तावित

RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
GENERAL		सामान्य
MANDI	M	मण्डी
TRANSPORT NAGAR	T	यातायात नगर
INDUSTRIAL		औद्योगिक
MINING AREA		खदान
PUBLIC & SEMIPUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES		सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
TOWER LINE		टॉवर लाइन
TRANSPORTATION		यातायात मार्ग
ROADS		मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY STATION		रेलवे स्टेशन
RAILWAY LINE		रेलवे लाइन
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
PARK/PLAY GROUND		उद्यान/खेल मैदान
STADIUM		स्टेडियम
AFFORESTATION		वृक्षारोपण
WATERBODIES		जलाशय
AGRICULTURAL		कृषि
FISH FARM		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र
FOREST		वन
BOUNDARY		सीमा
PLANNING AREA		निवेश क्षेत्र
VILLAGE AREA		ग्राम क्षेत्र



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मोप्रो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 28.06.2017



सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म० प्र० भोपाल

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म. प्र. भोपाल

Additional Director
Town & Country Planning
BHOPAL (M.P.)

Director,
Town and Country Planning
M. P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

के अन्तर्गत जिन आवासीय क्षेत्रों में नगरीय आवश्यक सेवा—सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उन क्षेत्रों में उपयुक्त स्तर पर इनका प्रावधान किया गया है। आवासीय क्षेत्रों से यथोचित दूरी पर कार्य केन्द्रों का प्रस्ताव दिया गया है तथा सुचारु रूप से सुगम परिभ्रमण संरचना द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। नगर में यंत्र-तंत्र फैली हुई गंदी बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ियों की पुनर्स्थापना अथवा पर्यावरण सुधार हेतु इन बस्तियों का चयन जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जाकर योजना तैयार कर, तदनुसार क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

2-13-2 vkoklh; ?kurk %

मैहर नगर पालिका सीमा में मैहर खास एवं घूरपुर ग्राम की 13.0 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 1036.0 हेक्टेयर थी जिसे 18 वार्डों में विभाजित किया गया था। म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 6 सितम्बर 2013 के अनुसार मैहर नगर पालिका की सीमा में वृद्धि की गई है, जिसमें पूर्व क्षेत्र के साथ 17 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिससे नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 5094.717 हैक्टेयर हो गया है, एवं वार्डों का विभाजन वर्तमान में विचाराधीन है, जिसके अभाव में वार्ड अनुसार घनत्व नहीं दिया जा सका है। सामान्य रूप से सम्पूर्ण नगर में नगर पालिका क्षेत्र के वर्ष 2013 के पूर्व विभाजित 18 वार्डों में से लालबहादुर शास्त्री वार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड, जवाहर लाल नेहरू वार्ड, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड तथा डॉ. अम्बेडकर वार्ड अधिक सघन क्षेत्र हैं। अतः इन वार्डों में संकीर्ण मार्ग, सेवा सुविधाओं का आभाव, वाहन विराम स्थल की कमी इत्यादि समस्याएँ अधिक हैं जिसे दृष्टिगत रखते हुए इस विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

2-13-3 xUnh cLrh %

सामान्यतः संकीर्ण तंग गलियाँ, टूटी-फूटी झोपड़ियाँ, कच्चे मकान, अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण, मूल-भूत सेवा सुविधाओं के आभाव वाले अधिवासित क्षेत्र गंदी बस्ती के अन्तर्गत माने जाते हैं। मैहर नगर पालिका परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत ग्यारह गन्दी बस्तियों के साथ, ग्राम अरकंडी में अधिवासित झुग्गी-झोपड़ियों को सम्मिलित कर चिन्हांकित किया गया है। जिसमें 1590 झोपड़ियाँ निर्मित हैं तथा 7974 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या जो मैहर नगर की जनसंख्या का लगभग 19.80 प्रतिशत है। शासन स्तर से गंदीबस्ती उन्मूलन हेतु अनुदान दिया गया है। जिसमें नगरीय निकाय के माध्यम से पर्यावरण सुधार योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

egj xnh cflR;k

2-सा-8

Ø.	cLrh dk uke	>kifM;k dh l[;k	tul[;k
1.	हनुमान टोला वार्ड नं. 1	89	534
2.	सिगुटान टोला 02	59	354
3.	चिकान, बेलदरान, कोरियान 03-04	108	648
4.	कोलान मोहल्ला 05	78	468

5.	विनइका मोहल्ला	07-08	88	528
6.	कोलान, चमरान, बसोरान	09	86	516
7.	घुरपुरा सम्पूर्ण	10	88	528
8.	करियापानी एवं सरपाहिया तालाब	11	109	654
9.	देवधरा कपडियान	-13	97	582
10.	जुलाहन टोला	-15	53	318
11.	सराय तथा कपरियान टोला		95	570
dy ;kx &			950	5700

इसके अतिरिक्त ग्राम अरकण्डी में लगभग 2914 लोग निवासरत है जिसमें से 1023 लोग श्रमिक हैं व सिर्फ 640 लोगों के पास घर है बाकी 2274 लोग शासकीय भूमियों पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं जिन्हें, व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।

2-14 vuekfur ifjokj ,o vkoklk dh deh %

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैहर नगर के अन्तर्गत नगरीय/ग्राम सहित 6762/10080 मकानों में नगरीय/ग्राम सहित 7130/11088 परिवार निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 5.39/6.82 व्यक्ति आता है। जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 5.93/7.50 आती है। प्रत्येक परिवार के लिए एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 668/1008 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार सामान्य से अधिक है।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग 1590 झुग्गी-झोपड़ियां पायी गई हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद् मैहर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगर में जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चे मकानों की संख्या 755 पाई गई है, ऐसे आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में दिया गया है :-

egj % vkoklk dh deh

Ø-	fooj.k	dy vkoklh; bdkb;k uxjh;@xke	vkoklk dh deh
1.	वर्ष 2014 तक की कमी	6762 10080	668 1008
2.	जीर्णशीर्ण एवं कच्चे आवास	755	755
3.	झुग्गी-झोपड़ी	1590	1590
	dy	19187	4021

उपरोक्त आंकलन के अनुसार मैहर नगर में लगभग 4021 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2014 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों की जानकारी सारणी 2-सा-9 में दी गई है।

egj % vuekfur ifjokj ,o vkokl vko';drk

2-सा-9

Ø- fooj.k	vkokl h; bdkb; k dh vko';drk			
	o"k&2014	o"k&2021	o"k&2031	
1. जनसंख्या	75,000	95,000	1,20,000	
2. अतिरिक्त जनसंख्या	—	20,000	25,000	
3. औसत परिवार का लगभग	6.82	6.00	5.00	
4. अतिरिक्त परिवार	—	3,333	5,000	
5. वर्ष 2021 में 80 प्रतिशत एवं 2031 में 90 प्रतिशत की दर से आवासीय ईकाइयों की आवश्यकता	—	2,666	4,000	
6. 2014 की आवासीय कमी को शामिल करते हुये आवास आवश्यकता	4021	6,687	10,687	
7. वर्तमान आवासों का एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पुनःस्थापना	—	660	1,060	
;kx %vu- Ø- 6+7%	4021	7]347	11]747	

उपरोक्त सारणी में अनुमानित आवासों की आवश्यकता में समाज के सभी आय वर्ग के परिवार सम्मिलित हैं। अन्य वर्गों में विभाजित के संबंध में वर्गीकरण अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च आय वर्ग हेतु क्रमशः 35 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत मानकर किया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार परिवार का औसत आकार 6.82 है। अनुमानित है कि वर्ष 2021 एवं 2031 में यह क्रमशः 6 एवं 5 तक पहुँच जायेगा। अतः उक्त अध्ययन के आधार पर वर्तमान आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुये अनुमानित है कि वर्ष 2031 तक 11,747 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी, इसी आधार पर भावी आवासीय प्रस्ताव दिया गया है।

2-15 okf.kfT; d mi ;kx %

मैहर नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर 95.14 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कुल विकसित क्षेत्र क्षेत्र का 6.74 प्रतिशत है तथा भू-उपयोगिता दर 0.79 है।

¼v¼ okf.kfT; d {k= %

नगर में विशेषीकृत बाजार नहीं हैं। नगर के मध्य क्षेत्र घंटाघर के आस-पास रेलवे स्टेशन का पश्चिमी भाग माँ शारदा देवी मंदिर, पहाड़ी तराई का क्षेत्र तथा प्रमुख नगरीय मार्गों पर यह गतिविधियां संचालित हैं जो नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नगर केन्द्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालित होने से समुचित वाहन विराम स्थल के अभाव के कारण यातायात की समस्याएँ उत्पन्न होती है।

egj % okf.kfT; d ifr"Bku

2—सा—10

Ø- bdkb fooj.k	l[;k	jk t xkj
1. आटा चक्की	31	75
2. इंजीनियरिंग वर्क्स	55	125
3. फर्नीचर निर्माण	18	50
4. ऑटो रिपेयरिंग	30	90
5. प्रिंटिस प्रेस	15	75
6. फोटो कॉपी/स्टूडियो	30	20
7. कम्प्यूटर सर्विस	05	20
8. किराना दुकान	110 लगभग	190 लगभग

विकास योजना 2011 में कृषि उपज मंडी, सब्जी फल मंडी, विशिष्ट बाजार, यातायात नगर के विकास के साथ नगर वृत्तखण्ड एवं उपखण्ड स्तरीय वाणिज्यिक विकास किये जाना प्रस्तावित था। किन्तु कृषि उपज मण्डी के विकास अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित नहीं हुई हैं जिससे यातायात एवं पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

¼v¼ of.kfT; d fodk l gr iLrko %

- मध्यक्षेत्र को नगर केन्द्र के स्वरूप में बनाये रखना।
- उपयुक्त स्थलों पर पदानुक्रमित दुकानों को प्रस्ताव दिये गये हैं।
- कटनी—रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर के पूर्वी एवं दक्षिणी व्यवसाय मार्ग के मिलान बिन्दु समीपवर्ती क्षेत्र तक प्रमुख एजेन्सियों एवं थोक गतिविधियों का विकास प्रस्तावित है।

- डेयरी फार्म, डेयरी उद्योग, कबाड़ी बाजार, लकड़ी टाल, आरा मिल, मैकेनिक वर्क शाप, ट्रक स्थानक इत्यादि पर्यावरण एवं यातायात समस्याएँ उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है।

QVdj okf.kfT; d {k= %

फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र भावी आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित किए गए हैं :-

- मध्यक्षेत्र को केन्द्र मानकर नगर केन्द्रों से संबंध प्रमुख मार्गों का विस्तार।
- वृत्त खण्ड बाजार केन्द्र।
- खण्ड स्तर पर बाजार केन्द्र।
- कालोनियों के अभिन्यास म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जावेंगे।

Fkkd okf.kfT; d dUn %

- मण्डी क्षेत्र।
- भण्डार गृह, शीतगृह एवं माल गोदाम।
- वर्गीकृत बाजार केन्द्र।
- नगर के वर्तमान एवं प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र का विवरण सारणी 2—सा—11 में दिया गया है।

egj % okf.kfT; d dk; dUn

2—सा—11

Ø-fooj.k	iLrkfor LFky	{k=Qy gDV; j e
1. थोक एवं विशिष्ट बाजार	हरनामपुर में वर्तमान कृषि उपज मंडी एवं बायपास के मध्य	7.0
2. मालगोदाम एवं शीतगृह	कटनी मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्र के पास	12.0
3. सब्जी/फल मंडी	वर्तमान कृषि उपज मंडी में	1.0
4. लोहा मण्डी	सरला नगर रेलवे लाइन बायपास के मध्य प्रस्तावित यातायात नगर से संलग्न	2.0
5. यातायात नगर	सरला नगर रेलवे लाईन बायपास के मध्य	10.0
6. मैकेनिक नगर	राष्ट्रीय राज मार्ग पर बायपास मार्ग क्र. 2 से संलग्न	2.0
7. लकड़ी एवं कबाड़ी बाजार	प्रस्तावित आरा मिल के पास	10.0

8.	भवन निर्माण सामग्री	मुम्बई-हावड़ा रेलवे लाईन एवं बायपास मार्ग का पास	7.0
9.	फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र		
	1. नगर स्तर पर	ओवर ब्रिज के उत्तर रेलवे लाइन से संलग्न क्षेत्र एवं सतना मार्ग बायपास क्र.-1 पर	15.0
	2. खण्ड स्तर पर		8.0
	3. उपखण्ड स्तर पर		6.0
	कुल		80.00

1.1 fo'k'khÑr cktkj %

वर्तमान में नगर में विशेषीकृत बाजार का अभाव है और आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। नगर के समस्त वाणिज्यिक कार्यकलाप मिश्रितरूप से कार्यरत हैं, किन्तु योजना कालावधि में जनसंख्या वृद्धि के साथ विशिष्ट बाजार की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरनामपुर में वर्तमान कृषि उपज मंडी एवं बाय-पास मार्ग के मध्य 7.0 हैक्टेयर भूमि का विकास इस उपयोग हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

2. eky xknke ,o 'khrxg %

इस उपयोग हेतु पूर्व योजना में पशु चिकित्सालय एवं विकासखण्ड कार्यालय के पीछे स्थल प्रस्तावित था, किन्तु अधिग्रहण के अभाव में विकास नहीं हो सका, जिससे अंश भाग में आवासीय विकास हो गया है। अतः नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए कटनी मार्ग पर विद्युत उप केंद्र के पास 12 हैक्टेयर क्षेत्र माल गोदाम एवं शीत भंडारण हेतु प्रस्तावित है।

3. lCth] Qy e.Mh %

वर्तमान सब्जी मण्डी एवं फल बाजार देवी जी मार्ग पर संचालित होता है। जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः फुटकर सब्जी एवं फल विक्रय हेतु अग्रसेन चौक से किले की ओर जाने वाले मार्ग पर, देवी जी मंदिर को जाने वाले मार्ग के उत्तर में, तालाब से संलग्न भूमि 0.50 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है तथा थोक सब्जी एवं फल मण्डी हेतु वर्तमान कृषि उपज मण्डी से संलग्न 1.0 हैक्टेयर भूमि का विकास प्रस्तावित है।

4. ykgk e.Mh %

सरला नगर को जाने वाली रेलवे लाइन एवं बायपास क्र.-1 के मध्य प्रस्तावित यातायात नगर के पास का क्षेत्र 2 हैक्टेयर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5% ;kr;kr uxj %

अग्रेसन अभिकरण मुख्यतः मध्यवर्ती क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर कार्यरत के मध्य स्थित होने से यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है, अतः ग्राम हरनामपुर में बायपास मार्ग एवं सरला नगर रेलवे लाइन 10.0 हैक्टेयर भूमि का विकास इस उपयोग हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

6% edfud uxj %

भारी वाहनों के मरम्मत आदि का कार्य कटनी मार्ग पर एवं मध्य क्षेत्र में किया जाता है जिससे यातायात बाधित होता है अतः रीवा को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बायपास मार्ग क्र.-2 से संलग्न 2.0 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

7% Hkou fuek.k l kexh %

मुम्बई-हावड़ा रेल लाइन से के.जे.एस. सीमेन्ट उद्योग को जाने वाली रेलवे लाइन एवं बायपास मार्ग से संलग्न मध्य का क्षेत्र 7.0 हैक्टेयर भूमि भवन निर्माण सामग्री के विकास हेतु प्रस्तावित है।

8% ydMh Vky ,o dokM l xg.k %

धनवाही मार्ग पर प्रस्तावित आरा मिल से संलग्न 8.0 हैक्टेयर क्षेत्र लकड़ी टाल एवं कबाड़ संग्रहण हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

9% QVdj okf.kfT;d din %

नगरखण्ड तथा उपखण्ड स्तर पर स्थानीय वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2-16 vk|kfxd %

नगर के आर्थिक विकास एवं समृद्धि का प्रमुख माध्यम (आधार) नगर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा एवं उसके समुचित दोहन में संलग्न उद्योगों के संचालित होने की स्थिति से ज्ञात होता है कि मैहर नगर के समीपस्थ क्षेत्र में उच्च कोटि के चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण वृहद राष्ट्रीय स्तर के सीमेन्ट उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 एवं मध्य रेलवे भागों से जुड़ा होने एवं अन्य उपयोग संबंधित उद्योग जो वनोपज आधारित, कृषि आधारित, पूजा सामग्री संबंधी उद्योगों के स्थापित होने की प्रबल संभावनाओं के साथ, यहाँ घरेलू एवं सेवा संबंधी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो सकती हैं। नगर के सामान्य भावी औद्योगिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 205.00 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2-16-1 vk|kfxd fLFkr %&

मैहर निवेश क्षेत्र एवं उससे संलग्न समीपवर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के सीमेन्ट उद्योग संचालित हुए हैं जिसका विवरण सारणी 2-सा-12 अनुसार है :

egj % l heUV m | kx

2—सा—12

Ø-	m kx dk uke	LFky dk uke ,o {k= dk uke	mRikn dk i:dkj	mRiknd ek=k yk[k eh- Vu	dk ;:dkjh	Jfedk ,o LVkd dh I ;:k
1.	मैहर सीमेन्ट उद्योग	ग्राम सोनवारी एवं क्षेत्र से बाहर कुल क्षेत्र 1582.23	सीमेन्ट निर्माण	4.2	3	1079
2.	के.जे.एस. सीमेन्ट उद्योग	लखवार, अमिलिया 755.178 है.	क्लिंगर एवं सीमेन्ट	18 एवं 22.5	3	1165
3.	रिलायन्स सीमेन्ट उद्योग	निवेसी क्षेत्र से बाहर	क्लिंगर एवं सीमेन्ट	निर्माणाधीन		435

- **egj l heUV lykV %** ग्राम सोनवारी 1582.23 हैक्टेयर में स्थापित है। जिसमें प्लांट 118 हैक्टेयर आवासीय कॉलोनी 78 हेक्टर तथा माइनिंग क्षेत्र 1350 हैक्टेयर में विकसित है।
- **d-t-, l- l heUV lykV %** ग्राम लखवार, अमिलिया में कुल 755.178 हैक्टेयर जिसमें प्लांट 70.588 हैक्टेयर कॉलोनी 13.578 तथा माइनिंग क्षेत्र 671.027 हैक्टेयर है।

विकास योजना 2011 में नगर में समान्य उद्योगों के विकास हेतु 75.0 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी जिसमें से धनवाही मार्ग पर ग्राम हरनामपुर एवं सोनवारी में 34.268 हैक्टेयर भूमि उद्योग विभाग तथा अधिग्रहित कर योजना तैयार की गई थी, किन्तु आद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार स्थल पर एक भी औद्योगिक इकाई संचालित नहीं हुई है। वर्तमान में यह स्थल अर्द्धविकसित है। जिसमें अधिग्रहित क्षेत्र में सीमांकन कर मार्गों का मुरमीकरण किया गया है तथा शेष भाग पर कृषि कार्य हो रहा है इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 10.0 हैक्टेयर क्षेत्र आरा मिल संचालित करने हेतु प्रस्तावित थी, जिसका विकास नहीं हुआ है। नगर में वर्तमान संचालित सामान्य उद्योग का विवरण सारणी 2—सा—13 अनुसार है।

रेलवे लाइन से संलग्न मध्यवर्ती क्षेत्र में संचालित चूना उद्योग जो पूर्व योजना में असंगत भूमि उपयोग में रखते हुए स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित था, वह बन्द हो गया है, रिक्त भूमि का उपयोग वाणिज्यिक सह आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा।

egj % y?k vk|kfxd bdkb;k

2—सा—13

Ø-	m kx dk idkj	bdkb;k dh l[;k	jk txkj Jfedk dh l[;k
1.	फर्नीचर निर्माण	18	50
2.	स्टोन क्रेशर	02	50
3.	लकड़ी टाल	06	60
3.	प्रिन्टिंग प्रेस	15	75
4.	ईटों का निर्माण	20	200
dy ;kx		61	435

L=kr % नगर परिषद मैहर।

2-16-2 vk|kfxd fodkl d iLrko %

राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु शासन स्तर से निवेश क्षेत्र में कृषि उपयोग के अन्तर्गत विचार किये जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा आधार अनुरूप स्वीकृतियां प्रदान की जा सकेंगी। सामान्य उद्योगों की स्थापना हेतु हरनामपुर एवं सोनवारी में उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के साथ 15.00 हैक्टेयर भूमि विकास के प्रस्तावित है। साथ ही आरा मशीन की स्थापना हेतु पूर्व योजनानुसार यथावत प्रस्तावित है इस प्रकार निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 205 हैक्टेयर भूमि विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 189.0 हैक्टेयर भूमि पूर्व योजना प्रस्ताव के अनुसार समाहित किया गया है, जो विकसित क्षेत्र का 15.87 प्रतिशत है।

2-17 lko tfud v)&lko tfud ,o lko tfud mi;kfxrk,। %

इस उपयोग के अन्तर्गत सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक शासकीय कार्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक एवं सेवा-सुविधाओं संबंधी गतिविधियां आती हैं, जिसमें जन उपयोगी कार्य संचालित होते हैं। मैहर नगर निवेश सीमा क्षेत्र में वर्तमान संचालित कार्य केन्द्रों एवं जन सुविधाओं की दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर कुल 81.0 हैक्टेयर भूमि का भावी विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है जो नगर के सम्पूर्ण भूमि उपयोग का 5.76 प्रतिशत है।

नगर में वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत संचालित कार्याकलापों की स्थिति सारणी 2—सा—14 अनुसार है।

dk;ky;

2-सा-14

Ø.	dk;ky; dk uke	dk;ky; LFky dk uke ekgYyk@okM	LFky dh oreku n'kk
1.	अनुविभागीय अधिकारी	धनवाही मार्ग रेलवे स्टेशन के पास	उपयुक्त व्यवस्थित विकास की आवश्यकता है।
2.	तहसील कार्यालय	तदैव	तदैव
3.	क्षेत्रीय कार्यालय	तदैव	तदैव
4.	कृषि विभाग	तदैव	तदैव
5.	ब्लॉक शिक्षाधिकारी	स्टेट बैंक के पास	तदैव
6.	जनपद कार्यालय (विकासखण्ड)	कटनी मार्ग पर जेल तिराहा के पास	अनुपयुक्त
7.	दूर संचार केन्द्र	कटनी मार्ग पर	तदैव
8.	दूरदर्शन केन्द्र	देवी जी मार्ग पर	तदैव
9.	जल संसाधन विभाग	देवी जी मार्ग पर	तदैव
10.	नर्मदा घाटी विकास	तदैव	तदैव
11.	जनपद शिक्षा केन्द्र	तदैव	तदैव
12.	वन विभाग	नाले के पास देवी जी मंदिर मार्ग पर	तदैव
13.	प्रशासक शारदा माता मंदिर	देवी जी पहाड़ी के पास	तदैव
14.	विद्युत मण्डल	सतना मार्ग पर	अनुपयुक्त
15.	पुलिस थाना	सतना मार्ग पर	उपयुक्त
16.	जेल	कटनी मार्ग पर तिराहा के पास	उपयुक्त
17.	नगर पालिका परिषद्	देवी जी मंदिर के पास बस स्टैण्ड	उपयुक्त

अनुविभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय एक ही परिसर के अन्तर्गत स्थित है, जिसके पीछे संलग्न निजी स्वत्व की भूमि होने एवं अधिग्रहण के अभाव में आवासीय

विकास हो गया है वर्तमान स्थिति में परिसर के पूर्व की ओर रिक्त शासकीय भूमि है। जिसमें विस्तार किये जाने के साथ उक्त तीनों कार्यालयों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

भविष्य में यदि शासन द्वारा मैहर को जिला घोषित किया जाता है, तो जिला न्यायालय हेतु लगभग 4.0 हैक्टेयर भूमि ग्राम मानपुर में नाले के पास शासन द्वारा आवंटित की जा चुकी है। इसी से संलग्न रिक्त शासकीय भूमि 10.0 हेक्टर के अंतर्गत संयुक्त जिला कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में संचालित अन्य राज्य शासन के कार्यालयों को स्थांतरित कर व्यवस्थित रूप से सक्षम अधिकारी की अनुमति से विकसित किया जा सकता है।

2-17-1 LokLF; §

स्वास्थ्य जीवन मानव की अमूल्य निधि है इसे स्वस्थ बनाये रखने हेतु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की मत्वपूर्ण आवश्यकता है। नगर में वर्तमान में तहसील स्तर का सिविल अस्पताल है जिसमें स्वास्थ्य उपचार हेतु 38 बिस्तर हैं, जो भावी जनसंख्या के अनुपात में कम हैं। अतः चिकित्सालय से संलग्न भूमि पर विकसित किये जाने के साथ सर्वसुविधायुक्त 100 बिस्तरों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पोडी, सोनवाडी, हरदुआ कला, तिघरा कला में एक एक उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसके विस्तार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरला नगर में मैहर सीमेन्ट फैक्ट्री की ओर से 50 बिस्तरों का निजी चिकित्सालय है, जिसमें नगरवासियों को भी स्वास्थ्य उपचार का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त औषधालयों में संक्रामक एवं विशेषीकृत चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है जिसके लिए एवं सर्वसुविधायुक्त, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, चिकित्सा केन्द्र इत्यादि के विकास हेतु 10 हैक्टेयर भूमि ग्राम कटिया में, प्रस्तावित स्टेडियम के पास, बायपास मार्ग से संलग्न, भूमि का विकास सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जाना प्रस्तावित है।

2-17-2 'k{kf.kd §

शिक्षा ज्ञान का पुंज है शिक्षित समाज ही नगर प्रदेश एवं देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान कर सकती है। यह तभी संभव है जब निकटस्थ क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर शिक्षा संस्थाएँ संचालित हों। नगर में एक शासकीय महाविद्यालय एवं संगीत महाविद्यालय संचालित है। तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र धनवाही मार्ग पर संचालित है। तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र धनवाही मार्ग पर संचालित है इसके साथ ही शासकीय एवं निजी स्तर पर प्राथमिक शाला 54 माध्यमिक 44 हाईस्कूल 7 एवं हायर सेकेण्ड्री 11 संचालित है। नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पोलिटेक्नीक कॉलेज हेतु 5.0 हैक्टेयर भूमि प्रशासनिक स्तर पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से कृषि प्रक्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

2-17-3 lkekftd ,o l kLÑfrd §

माँ शारदा देवी दर्शन हेतु शारदीय एवं चैत्र नवरात्रियों में 10-10 दिन का मेला आयोजित होता है इस दौरान बैठकी और नौमी के मौके पर हर दिन लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए

पहुँचते हैं, नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा के दिन लगभग ढाई लाख भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है।

शासकीय संगीत के यथा विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन की साधना स्थली की याद में राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में एक बार म.प्र. अलाउद्दीन खां संगीत आकादमी द्वारा फरवरी मार्च माह में 'egj mRlo*' का आयोजन 3 से 5 दिन के लिए होता है, जिसमें देश विदेश से संगीत प्रेमी सहभागी होते हैं।

उपरोक्त अवसरों में माँ देवी दर्शन हेतु आये हुए श्रद्धालुओं एवं देश विदेश से आये हुए संगीत प्रेमियों के ठहरने एवं सुख-सुविधा की व्यवस्था के लिए मेला पर्व पर संरक्षित बस स्थानक के समीप शिविर प्रस्तावित है, इसके साथ ही समुद्र सतह से लगभग 646.82 की ऊंची त्रिकूट पहाड़ी पर विराजमान माँ के दर्शन हेतु रोपवे की सुविधा दर्शनार्थियों को दमोदर रोपवे एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड कम्पनी द्वारा कराई गई है। कम्पनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में 2.45 लाख तथा वर्ष 2013 में 6.16 लाख दर्शनार्थियों ने सुविधा लाभ प्राप्त किया है। रोपवे टिकट स्थल के समीप टिकटार्थी हेतु समुचित प्रांगण भी व्यवसायी कम्पनी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही सामुदायिक एवं सभा भवन की स्थापना आवश्यकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए स्थल का चयन जिला प्रशासन की अनुमति से किया जा सकेगा।

2-17-4 lko tfud mi ;kfxrk %

पूर्व योजना के अनुरूप म.प्र. विद्युत मण्डल के वर्तमान केन्द्र तथा विद्युत उपकेन्द्र केन्द्र के व्यवस्थित विकास के साथ आवश्यकता के अनुरूप नगर के चारों ओर 4 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे। वर्तमान कब्रिस्तान एवं श्मशान यथास्थिति में संचालित रहेगा भविष्य में कृषि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से इस हेतु स्थल चयन किया जा सकेगा। ठोस आवष्टि प्रबंधन गोल मठ के पीछे ग्राम पंचायत आरकडी क्षेत्र में लगभग 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है, जो भावी नगर विकास की दृष्टि से अपर्याप्त है। अतः कृषि भविष्य में प्रशासनिक स्तर पर स्थल का चयन कर संक्षम अधिकारी की अनुमति से विकसित किया जा सकेगा।

2-18 vkekn iekn %

स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण एवं आमोद-प्रमोद हेतु उपयुक्त स्थल अति आवश्यक है विकास योजना में इस उपयोग हेतु 136.70 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई जो कुल विकसित क्षेत्र का 9.68 प्रतिशत है, इसमें वर्तमान एवं भावी जनसंख्या के लिए पिकनिक स्थल, उद्यान, खेल का मैदान तरण-ताल जलस्तरीय विकास, भू-दृश्यीकरण आदि का विकास आदि प्रस्तावों का समावेश किया गया है, जिससे स्वच्छ पर्यावरण एवं आमोद प्रमोद का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

1.1 m | ku ,o Hk&n' ;hdj.k {k= %

टमस नदी के दोनों तटवर्ती किनारों पर 33.0 मीटर एवं लिलजी नदी के तटवर्ती दोनों किनारों पर 33.0 मीटर की दूरी तक तथा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त नालों के दोनों तटवर्ती क्षेत्र से 9.0 मीटर की दूरी तक साथ ही दलदली निचली भूमि पर एवं देवी जी मंदिर मार्ग के उत्तर एवं दक्षिण में ग्राम अरकुण्डी एवं उदयपुर में वर्तमान हरित क्षेत्र को यथावत सघन वृक्षारोपण के साथ उपरोक्त समस्त स्थलों का सघन वृक्षारोपण एवं स्वच्छ पर्यावरण के साथ भू-दृश्यीकरण का विकास किया जाना प्रस्तावित है इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में स्थित तालाबों से 24 मीटर की दूरी तक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

1.2 {k=h; m | ku %

जीविकोपार्जन हेतु दिनचर्या में संलग्न कर्मी एवं नगरवासी विश्रान्ति के चंद लम्हे स्वच्छ पर्यावरण में व्यतीत करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, जिसके लिए नगर में उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। नगर के भावी विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सतना मार्ग से गरवंधा तालाब होकर तिघरा कला को जाने वाले मार्ग के उत्तर में, कटनी मार्ग से रीवा को जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग क्र. 7 को जोड़ने हेतु वर्तमान बायपास मार्ग के दक्षिण में, मैहर खास में कछिया तालाब से संलग्न 8.0 हैक्टेयर भूमि क्षेत्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1.3 uxj m | ku %

सतना मार्ग गरवंधा तालाब होकर तिघरा कला को जोड़ने वाले मार्ग के उत्तर में सतना मार्ग एवं रेलवे लाइन के मध्य मैहर खास में वर्तमान तालाब तथा उसके आस-पास 4.0 हैक्टेयर भूमि का विकास नगर उद्यान हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1.4 rj.k&rky %

वर्तमान में यहाँ तरण-ताल नहीं है, ग्राम उदयपुर एवं आरकंडी में लीलजी नदी पर निर्मित स्टाप डेम को तरण ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1.5 fi dfud LFky %

नगर वासियों के सैर-सपाटों हेतु धनवाही मार्ग पर ओवर ब्रिज के पश्चिम में वर्तमान निर्मित मंदिर को समाहित कर ग्राम सोनवारी में टमस नदी से संलग्न क्षेत्र पिकनिक स्थल हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1.6 t yk'k; k dk fodk l %

नगर में स्थित प्रमुख तालाबों के विकास एवं भू-दृश्यीकरण हेतु प्रस्ताव दिये गये। इन तालाबों के विकास हेतु सक्षम अधिकारी की सहमति से योजना तैयार की जा सकती है जिससे मैहर नगर के पर्यावरण उन्नयन के साथ-साथ जन मानस एवं तीर्थयात्रियों को लाभ प्राप्त होगा। इस हेतु नगर के तालाबों के निकट मेड में निर्मित झोपड़ियों को स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों की सूची निम्नानुसार है –

egj % rkykck dk fooj.k

Ø-	rkykc dk uke	{k=Qy %gDV; j e%	fodkl d iLrko
1.	बाबा तालाब	5.90	सौन्दर्यीकरण
2.	सरपरिया तालाब	2.03	सौन्दर्यीकरण
3.	विनायक तालाब	2.14	सौन्दर्यीकरण
4.	सनकुटा तालाब	4.16	सौन्दर्यीकरण
5.	नया तालाब	2.16	सौन्दर्यीकरण
6.	विष्णु सागर तालाब	12.41	गहरी करण एवं सौन्दर्यीकरण
7.	अखड़ा तालाब	5.87	गहरी करण एवं सौन्दर्यीकरण
8.	कछिया तालाब	3.36	गहरी करण एवं सौन्दर्यीकरण
9.	सुखउआ तालाब	2.09	गहरी करण एवं सौन्दर्यीकरण
10.	करिया पानी तालाब	3.78	सौन्दर्यीकरण
11.	गरवंधा तालाब	3.59	सौन्दर्यीकरण
12.	दैवधरा तालाब	2.8	सौन्दर्यीकरण
13.	प्रेमनगर तालाब	1.35	सौन्दर्यीकरण
14.	गोपाल तालाब	—	सौन्दर्यीकरण

इसके साथ ही नगर में स्थित अन्य तालाबों का उन्नयन करना प्रस्तावित है।

2-19 ;krk;kr ,o ifjogu %

विकास योजना में यातायात अन्तर्गत कुल 172.30 हैक्टेयर भूमि 1.43 हैक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या के दर से प्रस्तावित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग, बस स्टैण्ड इत्यादि शामिल हैं। नगर वासियों की प्रति दिन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त मेले की आवश्यकताओं हेतु शिविर प्रांगण एवं उससे संलग्न क्षेत्र बस स्थानक के लिए विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

2-20 vlxr Hkfe mi;kx %

नगर में कुछ भूमि उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल पर समुचित स्थान के अभाव तथा आस-पास के भूमि उपयोगों से असमंजस्यता, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण, असंगत भूमि उपयोग परिसरों का चयन किया गया है, जिसे अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव सारणी 2-सा-15 अनुसार है।

egj % vlxr Hkfe mi ;kx dh iLFkku ,o fjDr Hkfe dk mi ;kx

2-सा-15

Ø-	Hkfe mi ;kx	or'eku LFky	iLrkfor LFky	fjDr Hkfe dk mi ;kx
1.	आरा मिल	नगर के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत	धनवाही मार्ग पर	आस-पास के उपयोग के अनुरूप
2.	दुग्ध डेयरी एवं पशुपालन	नगर के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत	कृषि प्रक्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति से	आस-पास के उपयोग के अनुरूप
3.	विद्युत मण्डल कार्यालय	सतना मार्ग पर	देवी जी मार्ग के दक्षिण ग्राम अरकंडी में सक्षम अधिकारी की अनुमति से	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु
4.	श्मशान घाट	धनवाही मार्ग पर	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थल पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से	वृक्षारोपण एवं उद्यान का विकास
5.	मछली बाजार	सतना मार्ग पर बाबा तालाब के पास	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थल पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से	वाणिज्यिक उपयोग हेतु
6.	गंदी बस्ती (झुग्गी झोपड़ी)	नगरीय तालाबों के मेड पर एवं उसके आस-पास	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थल पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से	वृक्षारोपण

2-21 xke fodk l %

मैहर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में स्थित है उनका विकास योजना में दर्शित उपयोगों के अनुरूप होगा। किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, उनका विस्तार, वर्तमान आबादी के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुषांगिक उपयोग के साथ हो सकेगा।

2-22 uxj rkyck dk ty lo/ku %ty Hkjk% ,o eRL; ikyu %

मैहर नगर के पश्चिमी क्षेत्र में, नगरवासियों को वरदान स्वरूप बरगी नहर सिंचाई हेतु निर्माणधीन है। नगर में लगभग 18 छोटे-बड़े तालाब स्थित हैं जिसमें अधिकांश तालाब ग्रीष्मकाल में सूख जाने से नगरवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। अतः जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष योजना तैयार कर गर्मी के दिनों में, नहर के जल से नगरीय तालाबों को भरण किये जाने का सुझाव है, ताकि नगरवासियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और भूमिगत

जलस्तर में भी वृद्धि होगी साथ ही तालाबों में जल भराव होने से मत्स्य पालन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी यह कार्य उपयुक्त होगा।

2-23 फोडकल इफ्रकल/क {क= ॥

मैहर निवेश क्षेत्र से गुजरने वाली बरगी नहर के दोनों ओर के तटवर्ती क्षेत्र से 15–15 मी. की दूरी से भवन निर्माण कार्य किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा जो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सहायक होगा।

iLrkfor ;krk;kr ljpuk ,o uxjh; v/kk ljpuk

3-1 iLrkfor ;krk;kr ljpuk %

नगर में संचालित मिश्रित गतिविधियों के सुचारु एवं सक्षम रूप से कार्य संचालन हेतु प्रभावशील परिभ्रमण संरचना का होना आवश्यक है। मैहर नगर की परिवहन संरचना निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :

- (अ) मिश्रित यातायात अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना।
- (ब) नगर गतिविधियों को जोड़ने वाला मार्ग तंत्र।
- (स) क्षेत्रीय एवं नगर यातायात का प्रथक्करण।
- (द) मेले के अवसर पर दर्शनार्थियों के धार्मिक स्थल तक पहुँच हेतु नगर के बाह्य क्षेत्र से गुजरने हेतु मार्ग तंत्र।

3-2 ;krk;kr dh orleku fLFkfr %

मैहर नगर से मुम्बई—हावड़ा, पश्चिम—मध्य रेलवे ब्राडगेज लाइन से जुड़ा होने से यह नगर देश के प्रमुख नगरों कलकत्ता, इलाहबाद, मुम्बई, कटनी, रीवा, जबलपुर, इटारसी, झांसी आदि से जुड़ा होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक—7 तथा क्षेत्रीय मार्ग मैहर—सतना, मैहर—धनवाही मार्ग के माध्यम से आस—पास के क्षेत्रों से जुड़ा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक—7 कटनी से रीवा की ओर जाता है, वह मैहर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरता है जिस पर यातायात का भारी दबाव बना रहता है। इसी प्रकार धनवाही मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवर ब्रिज के पास जुड़ता है, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री होने के कारण अधिकांशतः भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण यातायात का भारी दबाव होता है। नगर के मध्य—क्षेत्र घंटाघर चौक से रेलवे स्टेशन, देवी जी का मंदिर एवं सतना मार्ग पर छोटे—छोटे एवं भारी वाहनों के साथ, विशेषकर मेला समय में दर्शनार्थियों की अपार भीड़ इन्हीं मार्गों से गुजरती है। जिससे यातायात का भारी दबाव इन मार्गों पर पड़ता है, जिससे यातायात की समस्या बनी रहती है। रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण से यातायात दबाव में कुछ कमी आई है।

नगरीय यातायात का भार कम करने हेतु परिवर्तित मार्ग/बायपास मार्ग एवं पहुंच मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं। वर्तमान परिवहन व्यवस्था में वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साइकल, स्कूटर, टेम्पो, कार, ऑटो रिक्शा, सायकल आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्रगति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिए नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

3-3 iLrkfor ;krk;kr iL.kkyh %

कार्यान्तरूप मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों को आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से आपसी संबंध का ध्यान रखा गया है। नगर के विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार है :

1. रेल मार्ग
2. राष्ट्रीय मार्ग
3. क्षेत्रीय मार्ग
4. बायपास मार्ग
5. मुख्य मार्ग
6. नगरीय मार्ग
7. खण्डस्तरीय मार्ग
8. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
9. स्थानीय मार्ग

नगरीय क्षेत्र से गुजरने वाला मुम्बई-हावड़ा रेलवे लाईन से नगरीय यातायात प्रभावित होता था, जिससे ओवर ब्रिज के बन जाने से नगरीय यातायात में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 कटनी से रीवा जो मैहर नगर के मध्य क्षेत्र से गुजरता है, उसके भारी यातायात दबाव को कम करने हेतु बायपास मार्ग का प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया था, जिसका एलाइमेंट (सीमांकन) कर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। किन्तु इस मार्ग के विकास के अभावा में वर्तमान में यातायात की सुविधा नगर को प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः भारी यातायात को नगर से बाहर परिवर्तित करने हेतु विकास योजना 2031 में 60.0 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग उसके विस्तार सहित प्रस्तावित किया गया है। दर्शनार्थियों के सुगम यातायात की दृष्टि से देवी जी मंदिर जाने हेतु, क्षेत्रीय मार्ग कटनी, सतना एवं अन्य मार्ग से आने वाले यात्रियों को नगर के बाह्य क्षेत्र से प्रवेश हेतु 40.0 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय प्रस्तावित यातायात संरचना का विशेष ध्यान रखा गया है। नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मुख्य मार्ग, नगरीय मार्ग, खण्डस्तरीय मार्ग, उपखण्ड स्तरीय मार्ग तथा स्थानीय मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

3-4 ekxk dk dk;kRed J.kh Øe %

1. बायपास।
2. क्षेत्रीय मार्ग।
3. मुख्य मार्ग नगरीय।
4. खण्डस्तरीय मार्ग।
5. स्थानीय मार्ग।

3-5 **ie[k ekxk dh iLrkfor pkMkb] %&**

विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग, मुख्य मार्ग, पहुंच मार्ग एवं क्षेत्रीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 3-सा-1 में दी गई है।

egj % ie[k ekxk dh iLrkfor pkMkb]

सारणी 3-सा-1

Ø-	ekxk dk uke	2011 e: iLrkfor pkMkb]	2031 e: iLrkfor pkMkb]
1	क्षेत्रीय मार्ग 1. रीवा-कटरी मार्ग (अ) नगरीय क्षेत्र में बायपास मार्ग के मिलान बिन्दु तक। (ब) बायपास मिलान बिन्दु से आगे रीवा कटनी की ओर	36 मी. 60 मी.	36.0 मी. 60.0 मी.
	2. मैहर – सतना मार्ग (अ) घंटाघर चौक से बाबा तालाब के दक्षिणी किनारे तक (ब) बाबा तालाब के दक्षिण के किनारे से बायपास तक (स) बायपास के आगे	24 मी. 24-30 मी. —	24.0 मी. 36 मी. 60 मी.
	3. मैहर धनवाही मार्ग (अ) ओवर ब्रिज से बाईपास क्र.-1 तक (ब) बायपास मार्ग से आगे	30 मी. 36 मी.	25.0 मी. 40.0 मी.
2	नगरीय मार्ग (वर्तमान)		
	(अ) ग्राम कटिया में बायपास मार्ग क्र.-1 से आगे ग्राम गिरगिटा की ओर (ब) सतना मार्ग से अण्डर ब्रिज होते हुए बायपास मार्ग क्रमांक दो के मिलान बिन्दु तक (स) घंटाघर चौक से देवी जी जाने वाला मार्ग (द) जेल मार्ग (ई) देवी जी मार्ग से बड़ा आखाड़ा होकर उदयपुर की ओर (फ) कटनी मार्ग में बायपास मार्ग क्र.-1-4 मिलान बिन्दु से ग्राम पटेहरा-अमड़ा होकर जाने वाला मार्ग	— 30 मी. 30 मी.	25.0 मी. 25.0 मी. 30.0 मी. 25.0 मी. 18.0 मी. 18.0 मी.

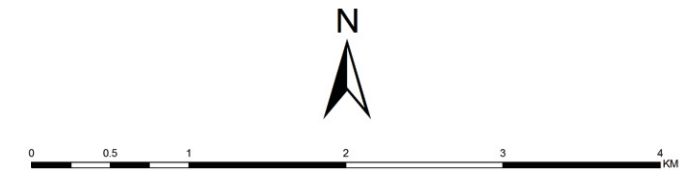
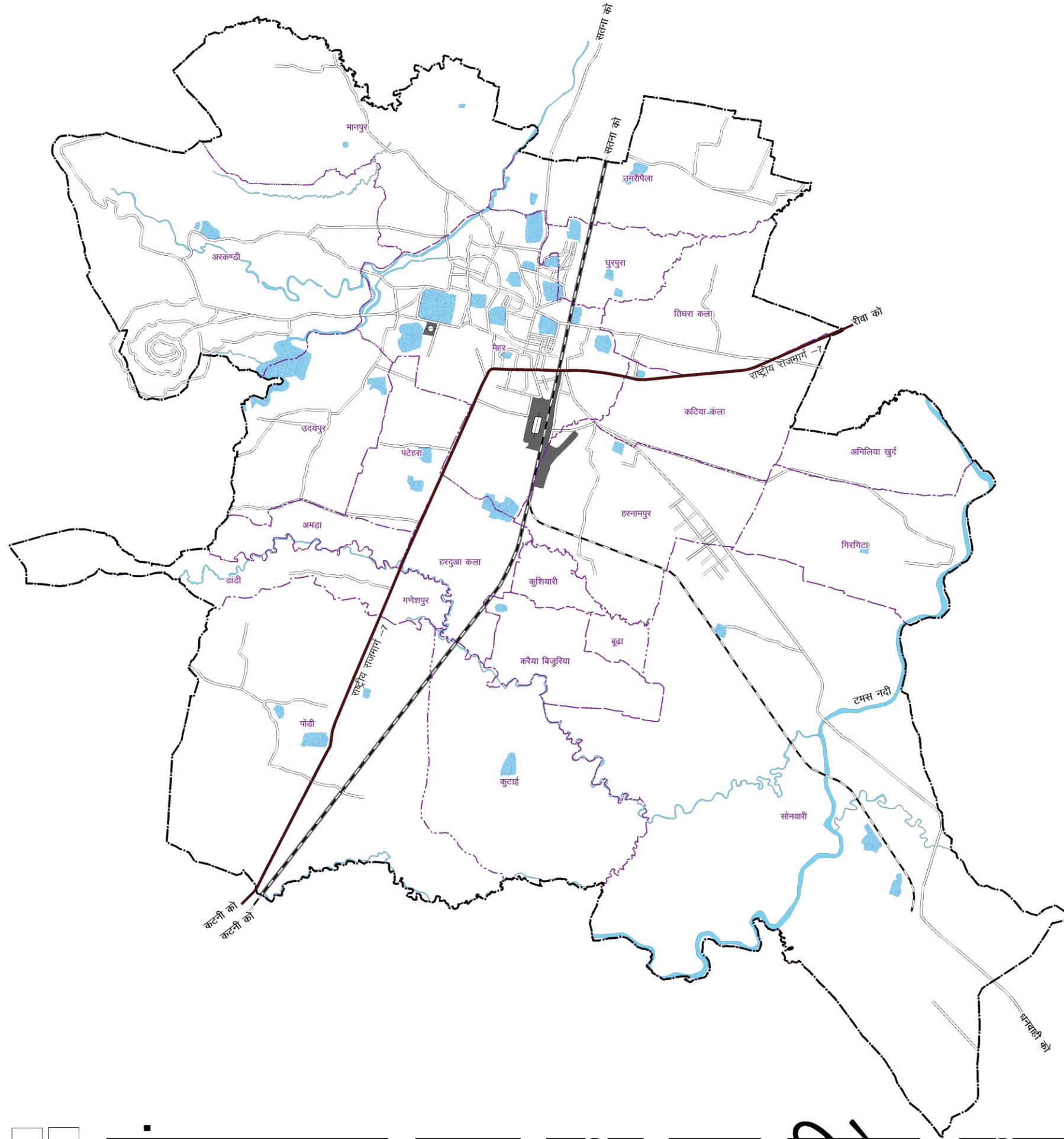
Ø-	elx' dk uke	2011 e iLrkfor pkMkb	2031 e iLrkfor pkMkb
	(य) राष्ट्रीय राजमार्ग से रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग	25–30 मी.	25.0 मी.
3	प्रस्तावित मार्ग		
	(अ) बायपास क्र.-1 (कटनी से रीवा जोड़ने वाला मार्ग)	60 मी.	60 मी.
	(ब) बायपास क्र.-2 (रीवा से सतना जोड़ने वाला मार्ग)		36 मी.
	(स) बायपास क्र.-3 (सतना से देवी जी जोड़ने वाला मार्ग)		36 मी.
	(द) बायपास क्र.-4 (देवी जी से कटनी जोड़ने वाला मार्ग)		40 मी.
	(इ) खण्डस्तरीय मार्ग		12.0 मी.
4	प्रस्तावित नगरीय मार्ग		
	(अ) मुख्य मार्ग क्र.-1 (बायपास क्र. 3 से सतना मार्ग तक)		18 मी.
	(ब) मुख्य मार्ग क्र.-2 (बायपास क्र. 3 से देवी जी मार्ग तक)		18 मी.
	(स) मुख्य मार्ग क्र.-3 (देवी जी मार्ग बस स्टेण्ड से बायपास क्र. 4 से कटनी मार्ग को जाने वाले मार्ग के मिला बिन्दु तक)		18 मी.
	(द) मुख्य मार्ग क्र.-4 (बायपास क्र. 4 से ग्राम पोड़ी नहर होकर कटनी जोड़ने वाले मार्ग तक)		18 मी.
	(इ) मुख्य मार्ग क्र.-5 (सतना मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा को जोड़ने वाले मार्ग उमरीपैला मुख्य मार्ग क्र. 6 तक)		18 मी.
	(फ) मुख्य मार्ग क्र.-6 (बायपास क्र. 2 से रेलवे लाइन प्रस्तावित अण्डर ब्रिज होकर सतना रोड़ को जोड़ने वाला मार्ग)		18 मी.
5	खण्ड स्तरीय मार्ग		12 मी.
6	उपखण्ड स्तरीय मार्ग		9.50 मी.
7	स्थानीय मार्ग		7.50 मी.

मैहर

वर्तमान परिभ्रमण
संरचना

संकेत

NATIONAL HIGHWAY		राष्ट्रीय राजमार्ग
ROAD		मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY STATION		रेल्वे स्टेशन
RAILWAY LINE		रेल्वे लाईन
WATERBODY		जलाशय



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 21.02.2014



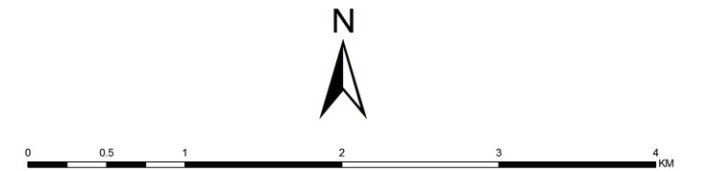
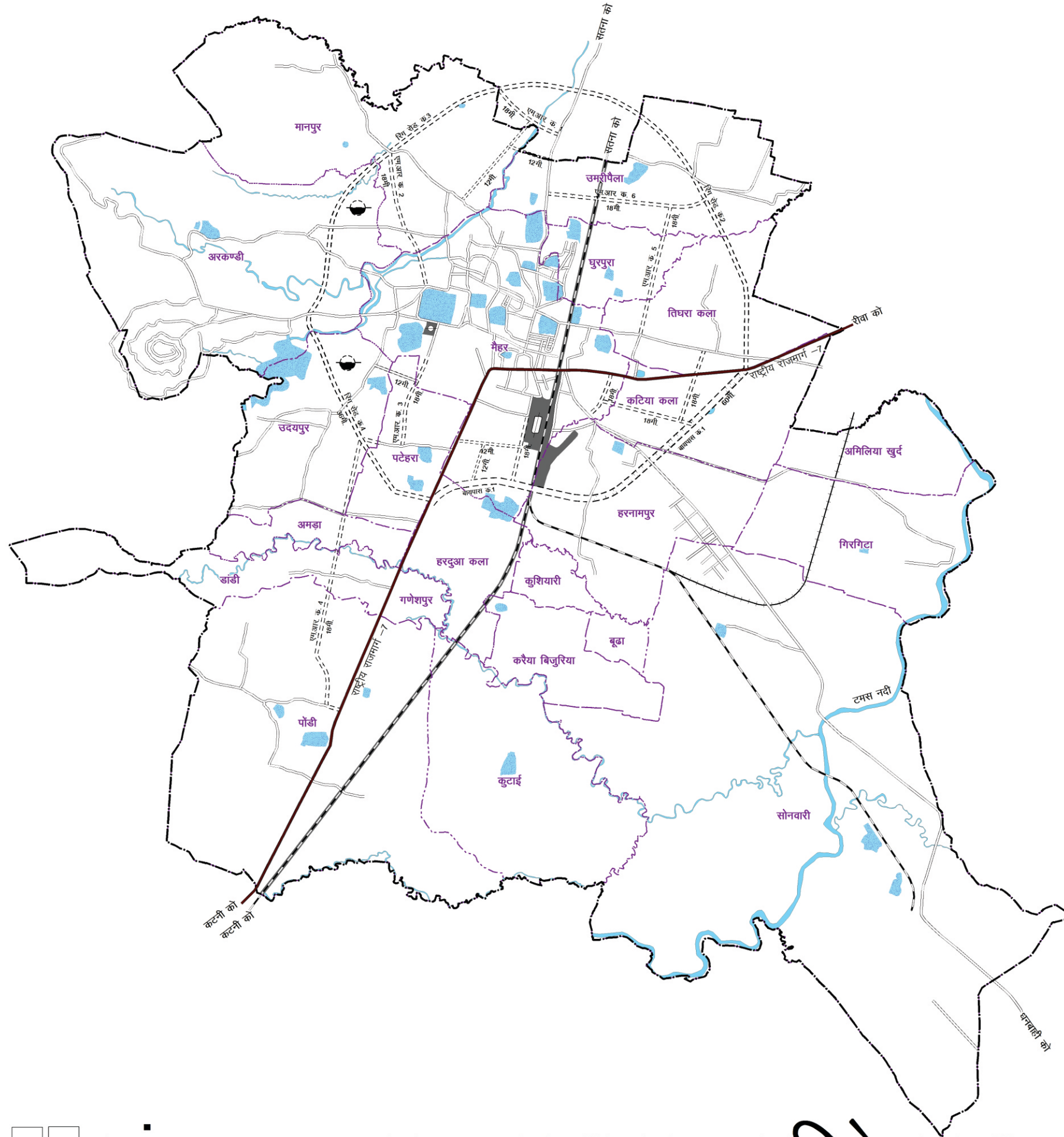
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

मैहर

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

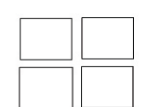
संकेत

NATIONAL HIGHWAY		राष्ट्रीय राजमार्ग
BYPASS		बायपास
RING ROAD		वृत्तीय मार्ग
MAJOR ROADS		मुख्य मार्ग
OTHER ROADS		अन्य मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY LINE		रेल्वे लाईन



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 21.02.2014



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

3-6 ekx lxe] frjkgk ,o pkjkgk l/kkj %

नगर की विभिन्न मार्ग संगमों को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत तथा नगरीय क्षेत्र के बाहर कुछ मार्ग संगमों के नगरीय रूपांकन एवं नियोजना की दृष्टि विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

1. पूर्वी गेट के पास का तिराहा।
2. जेल के बगल में तिराहा (राष्ट्रीय राज मार्ग)।
3. ओवर ब्रिज तहसील की ओर धनवाही मार्ग तिराहा।
4. स्टेट बैंक चौराहा।
5. घंटाघर चौराहा।
6. देवी जी मार्ग का जेल की ओर जाने वाले मार्ग का तिराहा।
7. अग्रसेन चौराहा (देवी जी)।
8. देवी जी मार्ग पर किले पर जाने वाले मार्ग का तिराहा।
9. देवी जी मार्ग पर विष्णु सागर के पश्चिम किले की ओर जाने वाला तिराहा।
10. देवी जी मार्ग पर अखाड़ा तालाब से उदयपुर को जाने वाले मार्ग का तिराहा।
11. सतना मार्ग पर बाबा तालाब के पूर्व घुरपुरा को जाने वाले मार्ग का तिराहा।

3-7 cI LFkkud %

विकास योजना 2011 में प्रस्तावित बस स्थानक देवी जी मार्ग पर अखाड़ा तालाब से संलग्न पूर्व की ओर स्थित है जहां पर क्षेत्रीय मार्गों पर आने एवं जाने वाली बसें रुकती हैं तथा विराम करती है। यह वर्तमान स्थिति में अर्ध विकसित है, जिसका सर्व सुविधा युक्त बस स्थानक के रूप में विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3-8 eyk cI LFkkud %

मेला समय के दौरान क्षेत्रीय मार्गों से आने वाली बसें एवं अन्य सवारी वाहन नगर के मध्य क्षेत्र से गुजर कर बस स्थानक में प्रवेश करते हैं। जिससे नगरीय मार्गों पर यातायात का भारी दबाव पड़ता है। अतः मेला समय में वाहन विराम हेतु बायपास मार्ग क्रमांक-3 पर ग्राम अरकण्डी में अंतर्गत तथा बायपास मार्ग क्रमांक-4 पर ग्राम उदयपुर में बस स्थानक विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3-9 fidvi LV'ku %

मुख्य नगर से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिये निम्न स्थलों पर पिकअप स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं :

1. देवी जी मार्ग बस स्टैण्ड।
2. रेलवे स्टेशन।

3. स्टेट बैंक चौराहा।
4. वर्तमान विद्युत कार्यालय के सामने।
5. ओवर ब्रिज से आगे रीवा मार्ग पर प्रशासनिक स्थल।
6. धनवाही मार्ग पर वर्तमान तहसील कार्यालय से आगे।
7. मेला के दौरान प्रस्तावित बस स्थानक एवं शिविर स्थल।

3-10 uxjh; volku dUn। §

1. बस स्टैण्ड।
2. रेलवे स्टेशन।
3. कृषि उपज मण्डी।
4. देवी जी मार्ग पर।
5. तहसील कार्यालय/न्यायालय।
6. प्रस्तावित वेयरहाउस गोदाम।
7. प्रस्तावित यातायात नगर।
8. घण्टा घर चौक का समीपवर्ती क्षेत्र।
9. प्रस्तावित मेला बस स्थानक एवं शिविर स्थल।

3-11 okgu fojke LFky §

नगर के विभिन्न स्थानों पर विकसित कार्य केन्द्रों एवं मार्गों के किनारे उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल पर वाहन विराम हेतु स्थल नियत कर मार्गों की यातायात क्षमता को बनाये रखना आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

1. रेलवे स्टेशन।
2. बस स्टैण्ड।
3. प्रस्तावित बस स्टैण्ड/शिविर स्थल।
4. देवी जी मार्ग पर अरकण्डी में।
5. विद्युत मण्डल कार्यालय के समीप।
6. तहसील कार्यालय के दक्षिण में धनवाही मार्ग पर।

3-12 vkoj fct ,o v.Mj fct fuek.k §

नदी नालों एवं रेल यातायात पर पहुंच मार्गों हेतु ओवर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3-13 uxjh; v/kk ljpuk %

नगर के सुनियोजित विकास में भौतिक अधोसंरचना का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार प्रस्ताव दिये गये हैं:

3-13-1 ty ink; %&

वर्तमान में नगर परिषद् मैहर द्वारा टमस नदी के किनारे जल शोधन प्लांट स्थापित कर नगरवासियों को प्रतिदिन 6 एम.एल.डी. जलापूर्ति की जाती है, जो कि अपर्याप्त है। अतः नगर की भावी जनसंख्या के मान से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 60 गैलन की दर से 2031 की अनुमानित जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये 10 एम.एल.डी. तक बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3-13-2 ty&ey fudkl %

नगर में जल-मल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। वर्षा एवं नगर का संपूर्ण जल मार्गों के किनारे एवं मार्गों से प्रवाहित होकर पोखर, तालाबों में समाहित होता है अथवा नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित होता है जिससे नदी, तालाब एवं पोखर का पानी प्रदूषित होता है एवं गंदगी का वातावरण निर्मित होता है। अतः जल-मल निकासी हेतु एक समग्र योजना क्रियान्वित कर इसका प्रवाह भूमिगत सीवेज व्यवस्था के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना स्थानीय निकाय के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

3-13-3 Bkl vof'k"V ic/ku %

वर्तमान में ग्राम अरकण्डी में नगर का कूड़ा-कचरा स्थानीय संस्था द्वारा संग्रहित कर विसर्जित किया जाता है जो उपयुक्त है। किन्तु भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से इसका विस्तार एवं विकास किया जाना आवश्यक होगा। ठोस अवशिष्ट के मुख्य स्रोत आवासीय प्रक्षेत्र, व्यवसायिक, अस्पताल/नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी मार्केट, औद्योगिक प्रक्षेत्र, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, मेलों के दौरान मेला मैदान एवं शिविर स्थल होते हैं, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या एवं मेला के दौरान आने वाले दर्शनार्थियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। औसतन प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों एवं मेला के दौरान निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिये नगरीय ठोस अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन के परामर्श से किया जावेगा, जो कि कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा।

3-13-4 rjy iVkfye xl % ,y-ih-t h-% %

नगर में वर्तमान गैस वितरण संस्थाएँ कार्यरत हैं जिनके गोडाउन नगरीय क्षेत्र के आस-पास होने से दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। इस कारण नगर के वर्तमान आबादी क्षेत्रों से बाहर, गैस गोदामों को कृषि प्रक्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। भावी आवश्यकतानुसार इस प्रकार की गतिविधियाँ कृषि उपयोग परिक्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी।

3-13-5 Hk&ty vko/ku %

नगर में जल संकट अधिक होने से पुराने एवं नये जल स्रोतों का संवर्धन आवश्यक है। कुओं, हैण्ड पम्पों, नलकूपों में वर्षा जल को एकत्रित कर भू-पुनर्चक्रीकरण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) एक प्रभावी तकनीक है, इससे भू-जल भण्डार में वृद्धि होगी, साथ ही रिचार्ज पिट (गड्ढा)/ट्रेंच रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में भी किया गया है, जिसका इनका पालन विकासकर्ता को करना अनिवार्य होगा।

3-13-6 M;jh ,o i'kiky %

वर्तमान में नगर में यत्र-तत्र (दुग्ध उत्पाद) एवं पशुपालन गतिविधियां संचालित होने से वातावरण प्रदूषण एवं यातायात प्रभावित होता है, अतः डेयरी एवं पशुपालन गतिविधियों को संगठित रूप से कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन की सहमति से स्थल चयन किया जाना प्रस्तावित है।

3-14 /kfed ,o lLdfrd %

3-14-1 eyk LFky %

माँ शारदा देवी मंदिर पहाड़ी के अंचल में स्थित मेला स्थल यथावत् रहेगा जिसे व्यवस्थित एवं सेवा सुविधाओं युक्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान मेला स्थल से संलग्न भूमि को भी भविष्य में मेला के उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। पूर्व विकास योजना में दिये प्रस्तावानुसार कार्यालय परिसर, यात्री निवास, वृद्धाश्रम, वाहन विराम स्थलों का विकास किया जा चुका है व भविष्य हेतु कार्यायोजना तैयार की जा चुकी है। जिसका क्रियान्वयन विचाराधीन है। नगर एवं श्रद्धालुओं की आवश्यकता अनुसार नगर में विकास कार्य हेतु मैहर विकास योजना में दिये गये प्रस्तावों अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

3-14-2 fo|r ink; %

वर्तमान विद्युत पावर केन्द्र तथा उपकेन्द्र कटनी मार्ग पर एवं बड़ा अखाड़ा के पास ग्राम उदयपुर एवं सतना मार्ग पर विद्युत कार्यालय के समीप स्थित है। इन विद्युत केन्द्रों द्वारा संपूर्ण नगर में विद्युत प्रदाय की जाती है, किन्तु यदा-कदा विद्युत प्रदाय की निरंतरता में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत दबाव की कमी होती है। भविष्य में विद्युत प्रदाय में सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः विद्युत विभाग की सहमति से उपयुक्त स्थल पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी।

3-14-3 l|pkj %

वर्तमान में कटनी मार्ग पर जनपद कार्यालय के पास दूरभाष केन्द्र विद्यमान है, किन्तु समुचित व्यवस्था नहीं है, अतः संबंधित संस्था के माध्यम से दूरभाष केन्द्र की क्षमता को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

3-14-4 Mkd ?kj §

नगर में वर्तमान में उपलब्ध डाक घर के अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप समुचित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

3-14-5 vkj{kh dUn §

वर्तमान में सतना मार्ग पर पुलिस आरक्षी केन्द्र स्थित है तथा आकंडी में देवी जी मंदिर प्रक्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी है। मेला अवसरों में प्रशासन द्वारा समुचित जन सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, भावी आवश्यकता की पूर्ति मानकों के अनुरूप की जाना प्रस्तावित है।

3-14-6 vfxu'keu dUn §

नगर में वर्तमान में एक अग्निशमन केन्द्र है। आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य नगरों से भी सेवायें प्राप्त की जाती हैं। वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है, अतः भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थानीय निकाय के माध्यम से समुचित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

3-14-7 /kkch?kkV §

वर्तमान धोबीघाट लिलजी नदी तट पर स्थित है, जो उपयुक्त स्थल है। किन्तु नदी जल प्रदूषण को रोकने हेतु उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।

3-14-8 'e'kku ,o dfcLrku §

वर्तमान में नगर में लिलजी नदी के पास मानपुर में एक कब्रिस्तान उपयुक्त स्थल पर है। धनवाही मार्ग पर स्थित शमशान विभिन्न विकसित प्रक्षेत्र के अंतर्गत होने से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के बाहर उपयुक्त स्थल का चयन सक्षम अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जाना प्रस्तावित है।

4-1 ior'khyrk %

इन नियमों का उद्देश्य **egj** नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

4-2 {k=kf/kdkj %

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत मैहर हेतु गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपर्यंग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिह्नित किये गये हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिये आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाये गये हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में नदियों/जलाशय के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि कल लंबाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल

को नहीं नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो सके आधार पर नापा जावे।

7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र की विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम के प्रावधानों अनुसार त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें, स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अथवा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो, तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/भू-आरक्षण आवंटन स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुमति दे।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30 (क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।

4-3 ifjHkk"kk;: §

mi;kx ifj{k=

& मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्य-कलापों में से किसी एक कार्य-कलाप का क्षेत्र।

mi;kx ifj lj

& उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिवार जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिये स्पष्ट किया गया हो।

- vfHkU; k l** & अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूप रेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
- Hkfe mi ; kx ekufp=** & सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
- ifj{kf=d ; k tuk** & निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बनाई गई हो।
- uxjh; xke** & भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
- uxjh; fojkl r** & नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हों तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हों।
- cg&bdkb! Hk[k.Mh;** & नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्यप्रदेश भूमि विकास विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें प्रावधित की जावें। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं उनके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधिक होना चाहिए।
- l{ke ikf/kdkjh** & म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार।
- vU; ifjHkk"kk;!** & म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होंगी।

4-4 Hkfe mi ; kx ifj{k= %

निवेश क्षेत्र को 10 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियां शर्तें या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

mi ; kx ifj{k=

4-सा-1

vu-Ø-	mi ; kx ifj{k=	mi ; kx Jf.k;k
1	2	3
1.	आवासीय	वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय।
2.	वाणिज्यिक	वर्तमान एवं प्रस्तावित सामान्य वाणिज्यिक (व्यापार सेवा संस्थान के साथ) मण्डी यातायात नगर

3.	औद्योगिक	वर्तमान एवं प्रस्तावित उद्योग के समूहों सहित।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	वर्तमान सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गविविधियां
5.	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं
6.	आमोद-प्रमोद	उद्यान/खेल मैदान, स्टेडियम, मेला मैदान, वृक्षारोपण
7.	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन, रेलवे लाईन/बस स्टैण्ड/बस डिपो, समस्त मार्ग
8.	कृषि	कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कंडिका 2.21 अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार सहित)
9.	जल स्रोत	तालाब, नाले एवं नहरें, नदियां

4-5 vkoklh; mi;kx ifj{k=k gr fu;eu %

4-5-1 mi;kx ifj{k=k dk mi;kx ifj ljk e mi&foHkktu %

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे – भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिए।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।
- एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तब ही दी जावेगी जब आवश्यक सेवाएं जैसे – जल प्रदाय, मल निकास, विद्युतीकरण पार्किंग सुविधा आदि का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएं वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा तथा उसके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधित होना चाहिये।

- वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार ईकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात् बहुईकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार सामज के कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग/ अनौपचारिक वर्ग तथा अन्य किसी वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण प्रावधान करना होगा।
- अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99; परिशिष्ट-अ में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

4-5-2 vkoklh; Hk[k.Mh; fodkl dl fu;eu %

- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर
- आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत।
- सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत।
- सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत।
- आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजना मापदण्ड सारणी क्र. 4-सा-2 अनुसार होंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

vkoklh; Hk[k.M fodkl fu;eu

4-सा-2

Ø.	Hk[k.M dk vldkj %eVj e%	{k= %ox eVj% U;ure	fodkl dk idkj	Hk& v/PNmu {k= ifr'kr ei	,Q,- vj- vfldre	,e-vk-, l- %eVj% e				Hk[k.M dl lkeu elx dh U;ure pMMb %e- e%	vfldre Apb %eVj e%	,d Hk[k.M ij vfldre Lohdk; Vkoklh; bdkb;k
						vx	ik'o	vk t	ckt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	4.0X8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2.	4.0X012.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3.	5.0X15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4.	7.0X15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5.	9.0X15.0	106-135	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6.	11.10X18.0	136-200	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	2.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
7.	12.0X18.0	201-216	अर्द्धपृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	1.5	9.0	12.5	3

8.	12.0X24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	3.0	9.0	12.5	4
9.	12.0X24.0	288-360	पृथक्कृत	35	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10.	15.0X27.0	361-405	पृथक्कृत	33	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11.	18.0X30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12.	20X30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13.	25X30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14.	30X30.30	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10

ukV § 1- अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 9 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रावधानित हों, तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय इकाईयां मान्य होंगी अन्यथा केवल 4 आवासीय इकाईयों की संख्या मान्य होगी।

2- यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट प्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

4-5-3 fodflr {k=k d el; miyC/k Hkfe;k@Hk[k.Mk ij vikVeV gkmflx d fu;eu §

- (1) न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल : 750 वर्गमीटर से अधिक
- (2) भूमि/भूखण्ड का फ्रन्टेज : 21 मीटर
- (3) भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई : 12 मीटर
- (4) अधिकतम एफ.ए.आर. 1.30 (12.5 मीटर ऊँचाई तक के मकानों के लिये)
- (5) एम.ओ.एस. सामने : 6 मीटर
अन्य ओर : 4.5 मीटर
- (6) भवन की ऊँचाई : 12.5 मीटर
- (7) दो अपार्टमेंट के ब्लॉकों के मध्य की दूरी सबसे ऊँचे अपार्टमेंट की ऊँचाई के 1/3 के बराबर होगी।
- (8) पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) आगंतुक कार/वाहन पार्किंग हेतु भूखण्ड के क्षेत्र का 2 प्रतिशत क्षेत्रफल, आरक्षित रखना होगा।
- (10) वृक्षारोपण/उद्यान अंतर्गत क्षेत्रफल = (भूखंड/भूमि का क्षेत्रफल-ग्राउण्ड कवरेज) गुणा 25 प्रतिशत)
- (11) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे।

- (12) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

4-5-4 **leg vkok l gr fu;ktu ekin.M %&**

- (1) इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हैक्टेयर होगा।
- (2) भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई 12.0 मीटर।
- (3) न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज = 35 प्रतिशत
- (4) भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज = 24 मीटर
- (5) अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु 1:1.40
- (6) एम.ओ.एस. सामने 7.5 मीटर
अन्य ओर 6.00 मीटर
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (8) **ikfdix %** एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) भवन ब्लकों के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित सबसे ऊँचे भवन की ऊँचाई के 1/3 बराबर।
- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार।

4-5-5 **12-5 ehVj l Åp Hkouk l c/kh fu;eu %**

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे, किन्तु अधिकतम एफ.ए.आर. 1:2.00 मान्य होगा। यह प्रावधान सभी भू-उपयोगों (आमोद-प्रमोद एवं कृषि को छोड़कर) मान्य होंगे, किन्तु माँ शारदा मंदिर से 0.50 कि. मी. में स्थित क्षेत्रों में ऊँचे भवनों का निर्माण मान्य नहीं होगा।

4-5-6 **Qke! gkm l %**

फार्म हाउस का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार मान्य होगा।

4-6 **okf.kfT;d {k= %**

4-6-1 **okf.kfT;d {k= e fodk l gr fu;eu %**

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेंगी :

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

4-6-2 okf.kfT; d fodk l gr fu; eu %

वाणिज्यिक विकास हेतु सरणी 4-सा-3 के अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर विकास स्वीकार्य होगा।

okf.kfT; d mi; kx ifj{k= d vfHkU; k l gr fu; eu

4-सा-3

Ø-	okf.kfT; d dUn dk Lrj	vko' ; d U; ure Hkfe dk {k=Qy %gDV; j e%	lEe[k ekx dh U; ure pkMkb %ehVj e%	U; ure [kyk {k= %ifr'kr e%	ikfdix {k= %ifr'kr e%	bQkey lDVj %ifr'kr e%	ekx ,o mi; kfxrk ,o lok; i %ifr'kr e%	vf/kdre Lohdk; i Hk&[k.Mh; {k=Qy %ifr'kr e%	Hkfe@Hk[k.M dk U; ure vxHkx ehVj e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नगरीय केन्द्र थोक वाणिज्यिक (मंडी सहित)	1.50 से अधिक	30	10	7.5	2.5	35	50	30.00
2.	उन नगरीय केन्द्र सामान्य (0.15 से 0.5 लाख आबादी हेतु)	1.00 से अधिक	24.00	10	7.5	2.5	35	50	25.00
3.	स्थानीय शापिंग (अभिन्यास स्तर पर)	0.5 से अधिक	12.00	10	7.5	2.5	35	—	15.00
4.	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	0.11 से अधिक	9.00	10	7.5	2.5	35	—	10.00

Vhi %& *स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होंगी।

4-6-3 mi foHkkt r okf.kfT; d Hk[k.Mk gr fu; eu %

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भू-खण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी अनुपात सारणी 4-सा-4 में दर्शाए अनुसार मान्य होगा :

मिफोहकफ्ट र ओफ.कफ्ट; द हक [क.मक ग्रि फु; ए

4-सा-4

Øekd	J.kh	vf/kdre fufer {k= ¼dojt ½	,Q-, -vkj
1	2	3	4
1.	नगरीय केन्द्र थोक वाणिज्यिक (मंडी)	50 प्रतिशत	1.75
2.	उप नगर केन्द्र सामान्य	50 प्रतिशत	1.50
3.	स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.25
4.	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.00

ukV % ऊँचे भवनों के प्रकरणों में पेरा 4.5.5 अनुसार एफ.ए.आर. मान्य होगा।

LFkkuh; ndku: %

1. औषधि दुकानें
2. कार्यालय
3. पैथेलाँजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक)/मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र
11. रेस्टोरेन्ट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय प्लैट : कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत अधिकतम।

4-6-4 lfo/kktud ndkuk e: Lohdk; ndku: %

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन एवं मशीनरी मरम्मत की दुकानें

3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें
8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

4-7 **vk|kfxd ifj{k=**

- (1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।
- (2) औद्योगिक परिक्षेत्र में अभिन्यासों एवं औद्योगिक भूखण्डों के विकास के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार होंगे।

4-8 **vU; lfo/kk, l %**

अभिन्यासों में सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुसार मान्य होंगी।

4-9 **;krk;kr uxj@edfud uxj d| ekud %**

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक निम्नानुसार होंगे :

4-9-1 **;krk;kr@edfud uxj fu;k tuk ekin.M**

अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत	: 40 प्रतिशत
आन्तरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	: 18 मीटर
सार्वजनिक सेवायें/सुविधायें	: 05 प्रतिशत न्यूनतम
पार्किंग	: 15 प्रतिशत न्यूनतम
उद्यान	: 10 प्रतिशत न्यूनतम

यातायात/मैकेनिक नगर में सुविधाओं के मानक सारणी 4-सा-5 अनुसार मान्य होंगे।

;krk;kr@edfud uxj d| ekud

4-सा-5

vu Ø-	dk;l dk idkj	bdkb;l ifr 100 Vd	vu'kflr {k=Qy dh lhek ifr bdkb oxeh-
1	2	3	4
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2.	कल पुर्जों की दुकानें	10-15	9-72

3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप	15—25	7.5—135
4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12—20	7.5—90
5.	ढाबा	5—7	30—90
6.	चाय नास्ता दुकान	8—19	9—14
7.	पान सिगरेट दुकान	10—14	2—5
8.	नाई/सिलाई दुकान	1	10—15

4-9-2 ;krk;kr uxj e lfo/kkvk d ekin.M

प्रति 100 ट्रक के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान सारणी 4—सा—6 के अनुरूप होंगे।

;krk;kr uxj e lfo/kkvk d ekin.M

4—सा—6

vu- Ø-	lfo/kk	{k=Qy ifr bdkb ½oxeh-½	fvi.kh
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3.	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4.	होटल, लॉज	600	ऊपर मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	—
7.	अग्निशमन केन्द्र	200	—
8.	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

Vhi %&

1- ifjHke.k r=A

अभिन्यास के मुख्य मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़े।

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

खुले क्षेत्रों के चारों ओर के मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

2. पार्किंग हेतु खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक के मान से जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग बे में या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है। यह क्षेत्र खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

4.10 उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन

4.10.1 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग

विकास योजना में उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग श्रेणियों में सारणी 4—सा—7 अनुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अनुमत होंगे :

उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

4-सा-7

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी, हॉल, मैरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लैस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर।
2.	वाणिज्यिक	
	सामान्य वाणिज्यिक	अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र,

		प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, वायर लैस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
	मण्डी	मण्डी, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/पलैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, मैरिज गार्डन, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब। नोट : उपरोक्त समस्त गतिविधियां मण्डी परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होंगी।
	यातायात नगर	यातायात नगर, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/पलैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, वायर लैस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब। नोट :- उपरोक्त समस्त गतिविधियां यातायात नगर परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होंगी।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग

		एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे-केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, गैर-प्रदूषणकारी** उद्योग स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र।

*,** म.प्र. राजपत्र, दिनांक 14 मई 2018 द्वारा अंतः स्थापित।

5.	सार्वजनिक उपयोगिताएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद उद्यान/खेल मैदान	स्टेडियम/खेल का मैदान, पार्क, खेल उद्यान, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, स्टेडियम, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, वाटर पार्क, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं, अन्य विशिष्ट उद्यान। नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न गतिविधियां केवल उन उद्यानों में स्वीकृत होंगी जिनका क्षेत्रफल 2.50 हेक्टेयर से अधिक हो :- क्लब रिसोर्ट, जिम्नेजियम, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियक, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब, केम्पिंग साइट, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर।
	मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साइट, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	वृक्षारोपण	वृक्षारोपण/पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साइट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8.	वन	वन विभाग के प्रावधानों अनुसार।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, समस्त विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ,

		(क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/ औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लैस स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टारेंट, ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***, एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।
--	--	---

व्याख्या :-

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

4.10.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :

उपयोग परिक्षेत्रों का विकास उपयोग परिक्षेत्रों को विभिन्न उपयोग परिसरों में विभक्त कर किया जाता है। जिसके लिये नियोजन मापदण्ड की आवश्यकता होती है। इस बाबत सारणी क्र. 4-सा-7 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड, सारणी क्र. 4-सा-8 एवं 4-सा-9 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। इन प्रावधानों के माध्यम से प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्रों का सुनियोजित विकास प्रस्तावित है।

,**, म.प्र. राजपत्र, दिनांक 14 मई 2018 द्वारा अंतः स्थापित।**

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-8

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
शैक्षणिक गतिविधियां											
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	30.00	—	—	—	—	—	—	—	फ्रण्टेज = 100 मी.
	अ- प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्ट एम. ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्ट एम. ओ.एस. केवल

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											फ्रण्ट साईड में
	स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	—	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्ट एम. ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	द-पार्क एवं लैण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	—	5	1:0.05	आवश्यकता —नुसार	12.00	6.00	6.00	—	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
4.	चिकित्सा / इंजीनि यरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
6.	पॉलीटेक्निक	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
7.	माध्यमिक / सेकेण्डरी विद्यालय	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.00	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
10.	प्ले स्कूल	म.प्र. 0.10 अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
11.	समन्वित आवासीय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
	विद्यालय										45 मी.
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=100	फ्रण्टेज = 30 मी.
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
16.	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
18.	कोचिंग सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
28.	ड्राईविंग स्कूल	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
29.	प्रयोगशाला	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
स्वास्थ्य गतिविधियाँ											
30.	सामान्य चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि.	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
		अनुसार									
31.	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.
32.	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
33.	प्रसूति गृह	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
35.	नर्सिंग होम	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
36.	पॉलिक्लिनिक	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
37.	क्लीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
38.	पैथोलॉजी लैब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 15 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
41.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
42.	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
43.	रेड क्रॉस केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
44.	फिजियोथैरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
45.	एक्सरे / रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
49.	झूलाघर / डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											25 मी.
51.	वृद्धाश्रम	0.25	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
53.	लॉजिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
54.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
55.	होस्टल	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
56.	बोर्डिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
57.	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	0.40	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
58.	रात्रि विश्राम गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	—	फ्रण्टेज = 20 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.75	30.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
60.	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	ले आउट अनुसार	ले आउट अनुसार	ले आउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र = 1.5 प्रतिशत
61.	ग्रुप हाउसिंग	0.40	15.00	35	1:1.50	12.50	9.00	7.50	7.50	A=100	फ्रण्टेज = 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
62.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.075	12.00	33	1:1.40	12.50	7.50	4.50	4.50	A=100	(1) फ्रण्टेज = 21 मी. (2) ऐसे भूखण्ड, भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये
63.	स्वयं का आवास	0.005	9.00	30	1:1.25	12.50	6.00	3.00	3.75	A=100	(1) फ्रण्टेज = 12 मी. (2) इससे छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहां भूखण्डीय विकास या

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट हाउसिंग मान्य करना संभव न हो।
वाणिज्यिक गतिविधियाँ											
64.	शापिंग मॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
		अनुसार	नि. अनुसार	अनुसार	नि. अनुसार						अनुसार
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.25	18.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
67.	कैफेटेरिया	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
68.	कन्वेनशन सेंटर	2.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=20	फ्रण्टेज = 100 मी.
69.	सुविधाजनक दुकानें	—	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	(1) फ्रण्टेज = 20 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3% के

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											बराबर
70.	स्थानीय दुकानें	—	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A= 50%	(1) फ्रण्टेज = 30 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 5% के बराबर
71.	साप्ताहिक हाट बाजार	0.30	12.00	35	1:1.25	04.50	9.00	4.50	4.50	A= 25	फ्रण्टेज = 40 मी.
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	18.00	35	1:1.75	12.50	12.00	6.0	6.0	A= 50	फ्रण्टेज = 25 मी.
73.	सिनेमा हाल	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A= 30	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
74.	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A= 50	फ्रण्टेज = 25 मी.
75.	मोटल	0.75	24.00	25	1:0.75	12.50	15.00	10.0	10.0	A= 25	(1) राष्ट्रीय राजमार्गों / राजमार्गों / समस्त क्षेत्रीय मार्गों / बायपास मार्गों पर (2) फ्रण्टेज = 40 मी.
76.	रेस्टॉरेंट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A= 50	फ्रण्टेज = 18 मी.
77.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	म.प्र. भू.वि.नि.	म.प्र. भू.वि.	A= 50	—

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
	केन्द्र	अनुसार	नि. अनुसार	अनुसार	नि. अनुसार	अनुसार	नि. अनुसार	अनुसार	नि. अनुसार		
78.	व्यवसाय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A= 50	फ्रण्टेज = 15 मी.
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.15	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A= 50	फ्रण्टेज = 25 मी.
80.	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	A= 50	फ्रण्टेज = 25 मी.
81.	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	A= 50	(1) फ्रण्टेज = 35 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20.00

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											मी. स्थान खुला रखना होगा।
82.	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	A= 50	फ्रण्टेज = 40 मी.
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम. सी.जी. गोदाम	0.60	15.00	30	1:0.75	12.50	15.00	9.00	9.00	A= 75	फ्रण्टेज = 30 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A= 50	फ्रण्टेज = 20 मी.
85.	ए.टी.एम.	—	12.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00 मीटर x 3.00 मीटर का निर्माण एम.ओ.एस. स्पेस को

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा।
86.	मैरिज हाल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
87.	बारात घर	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
					र		र				
88.	कल्याण मंडपम	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
89.	मांगलिक भवन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
90.	मैरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 40 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
91.	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	1.00	24.00	25	1:0.50	12.50	15.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 100 मी.
92.	ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.20	18.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
94.	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	2.00	24.00	30	1:1.00	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	फ्रण्टेज = 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
95.	गैस गोडाउन	—	12.00	30	1:1.00	12.50	—	—	—	A=50	(1) फ्रण्टेज = 25 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 15.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
96.	अनाज मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
97.	सब्जी / फल मण्डी	0.60	18.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 45 मी.
98.	लोहा मण्डी	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
99.	भवन सामग्री यार्ड	1.50	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
100.	सी.एन.जी. केन्द्र	0.15	24.00	15	1:0.15	6.00	12.00	10.00	10.00	A=15	फ्रण्टेज = 35 मी.
101.	सर्विस स्टेशन	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
102.	ब्यूटी पार्लर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
103.	तौल कांटा	0.15	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
104.	थोक मार्केट	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
105.	दवाई मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
106.	स्टेशनरी मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
107.	ऑटो मोबाइल मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
108.	फायर वर्क्स मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
109.	सर्राफा मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
110.	क्राकरी मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
111.	कपड़ा मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.50	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
112.	बर्तन बाजार	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
113.	मरम्मत बाजार	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
115.	केमिकल बाजार	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
116.	ई-चौपाल	0.25	18.00	30	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
118.	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
119.	बैंक्वेट हॉल	0.50	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=20	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
120.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
121.	वेयर हाउस	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
122.	कोल यार्ड	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
123.	मीट मार्केट	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
124.	सायबर कैफे	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
125.	ढाबा	0.30	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
126.	रेल/एयर टिकट घर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
सांस्कृतिक गतिविधियां											
127.	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.15	12.50	15.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मी.
128.	योग केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
129.	अध्यात्मिक केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
130.	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	0.15	15.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
132.	लाइब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
133.	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											25 मी.
134.	कॉफ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	1.00	24.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
135.	नाट्य गृह	0.40	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.
136.	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
137.	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
138.	क्रेच / झूलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
139.	आर्ट / गैलेरी संग्रहालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
खेल / मनोरंजन गतिविधियां											
140.	खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार			आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
141.	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
142.	एम्प्लूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यक ता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ. एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
143.	क्लब / रिसोर्ट	0.40	15.00	20	1:0.30	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
144.	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	4.00	18.00	20	1:0.25	12.50	10.00	10.00	6.00	A=25	(1) भारतीय खेल प्राधि. की निर्धारित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रण्टेज

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											= 100मी.
145.	जिम्नेजियम मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	15.00	30	1:0.00	12.50	12.00	7.50	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
146.	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यक तानुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ. एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का निर्माण जल तट से लगकर आवश्यकतानुसार किया जा

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											सकेगा। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
147.	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
148.	स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	24.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
149.	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	खेल की आवश्यकता नुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
150.	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
151.	तरणताल	0.40	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											25 मी.
152.	पिकनिक हट	0.25	12.00	15	1:0.25	7.50	12.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मी.
153.	फ्लाईंग क्लब	0.40	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
154.	फिटनेस क्लब	0.25	15.00	35	1:1.25	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
155.	मेला मैदान	आवश्यकता नुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.
156.	नर्सरी	0.10	9.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	A=15	फ्रण्टेज = 28 मी.
157.	पक्षी अभ्यारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
158.	वनस्पति उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
159.	प्राणी उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.
160.	मत्स्यालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
161.	केम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
162.	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के।	4.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यक ता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ. एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
163.	रिसोर्ट पर्यटक / कुटीर	1.00	18.00	20	1:0.25	9.00	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
शासकीय गतिविधियां											
164.	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित।	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	(1) फ्रण्टेज = 25 मी. (2) स्टाफ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत
165.	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
166.	जेल	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
167.	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
168.	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
169.	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
170.	बैंक	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.
171.	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित।	आवश्यकता अनुसार	9.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
172.	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
173.	दूरसंचार टावर / स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
174.	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
175.	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
176.	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
177.	दूर संचार केन्द्र	0.15	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 340 मी.
178.	ट्रांसमिशन टावर / वायर लैस	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता	आवश्यकता	आवश्यकता	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
	स्टेशन				अनुसार		अनुसार	अनुसार	अनुसार		
179.	रेडियो स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
180.	वैधशाला	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
181.	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
183.	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
184.	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	—	आवश्यकता अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
					र						
185.	श्मशान / कब्रिस्तान / सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	—	आवश्यकता अनुसार
186.	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	—	आवश्यकता अनुसार
187.	गौशाला	0.25	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 18 मी.
188.	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
189.	दूरभाष केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
190.	विन्ड मिल्स / फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
191.	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	5.00	3.00	3.00	-	फ्रण्टेज = 9 मी.
192.	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
193.	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
194.	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
195.	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
196.	सैप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
197.	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
198.	घूरा एवं कचराघर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
199.	धोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
200.	औद्योगिक सुविधायें एग्रो स्तर उद्योग	0.20	15.00	40	1:1.0	12.50	12	6.00	6.00	A=75	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 25 मी.।
201.	डेयरी प्लांट	0.75	18.00	35	1:1.00	12.50	15	6.00	6.00	A=20	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 30 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
202.	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार	A=50	—
203.	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	15.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।
204.	ड्रेरी प्लांट	0.40	18.00	35	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.।
205.	स्लाटर हाउस	0.20	15.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.।
206.	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	—
207.	एक्सटेंसिव /	—	12.00	—	—	—	—	—	—	—	खनिज

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
	विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग										विभाग के नियम अनुसार
208.	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।
209.	फूड पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
210.	साफ्टवेयर पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
211.	दुग्ध केन्द्र	0.50	18.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
यातायात सुविधायें											
212.	बस स्टैण्ड	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
213.	बस टर्मिनल	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											100 मी.।
214.	पिकअप स्टेशन	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 50 मी.।
215.	बस स्टॉप	आवश्यकता नुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	—	—	—	आवश्यकता अनुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर, बाईं लेन में।
216.	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
217.	मेकेनिक नगर	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.।
218.	ऑटो स्टैण्ड / टैक्सी स्टैण्ड	0.25	15.00	15	1:0.30	07.50	15.00	9.00	9.00	पार्किंग एक कार प्रति 15.00	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
										वर्ग मी. उपलब्ध भूमि की दर से	
219.	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.।
220.	बस डिपो / कर्मशाला	1.50	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
221.	कार्गो	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
222.	पार्किंग	आवश्यकता नुसार	12.00	—	—	—	6.00	6.00	6.00		फ्रण्टेज = 18 मी.।
223.	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
224.	ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के।	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।
225.	हेलीपेड	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 150 मी.।
226.	रेलवे स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	30.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 75 मी.।
227.	धर्म	0.15	24.00	15	1:0.25	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
	कांटा / वेविंग ब्रिज										30 मी.।
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां											
228.	मुर्गी पालन केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
229.	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230.	डेयरी	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
231.	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
232.	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
233.	ग्रामीण केन्द्र	0.20	9.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
234.	अनाज गोदाम	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
235.	भवन सामग्री बोर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
236.	मैरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
237.	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
238.	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
239.	आंगनबाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज =

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि का भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
											18 मी.।
240.	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
241.	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
242.	चौपाल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
243.	उत्सव स्थल	0.40	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=25	फ्रण्टेज = 24 मी.।

*12.50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे। “म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार” से आशय है “मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से”

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र. 4-सा-8 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा। सक्षम अधिकारी सारणी क्र. 4-सा-8 में उल्लेखित परिसरों में सहायक गतिविधियों सारणी 4-सा-9 में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

4.10.3 उपयोग परिसरों में सहायक गतिविधियों संबंधी नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी क्र.-सा-7 एवं 4-सा-8 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियां सारणी क्र. 4-सा-9 अनुसार मान्य होंगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है कि यह सहायक गतिविधियां, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होंगी, वहीं उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएं, उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सकें तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हो। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण, इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों से, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास/निर्माण/संचालन/संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

**मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत
उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण**

4-सा-9

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
001	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	वोकेशनल प्रशिक्षण	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन	अधिकतम 05	
		स्टॉप क्वार्टर	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल	अधिकतम 05	
002	विश्वविद्यालय	शैक्षणिक एवं रिसर्च	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर एवं सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
003	शैक्षणिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
004	अ-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	ब- चिकित्सा महाविद्यालय	शैक्षणिक / चिकित्सालय	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
005	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
006	पॉलीटेक्नीक	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
007	माध्यमिक / सेकेण्डरी विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
008	प्राथमिक विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
009	नर्सरी स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
010	प्ले स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 25	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		केण्टीन, स्टेशनरी	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 60	
011	समन्वित आवासीय विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
012	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		फिजियोथेरेपी	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 05	
013	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
014	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
015	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
016	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर जैसी सुविधाएं		
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
017	कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
018	कोचिंग सेंटर	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
019	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
020	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम,	अधिकतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं		
021	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
022	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
023	होटल मैनेजमेंट संस्थान	होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
024	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	केन्द्र	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
025	अन्य शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
026	आई.टी.आई.	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
027	किंडर गार्डन स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
028	ड्राइविंग स्कूल	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
029	प्रयोगशाला	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
स्वास्थ्य गतिविधियां				
030	सामान्य चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
031	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
032	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	चिकित्सा	न्यूनतम 65	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
033	प्रसूति गृह	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
034	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
035	नर्सिंग होम	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
036	पॉलीक्लीनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
037	क्लिनिकल प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, एक्सरे, पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
038	पेथोलॉजी लेब	प्रयोगशाला, एक्सरे	अधिकतम 90	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग	अधिकतम 10	
039	पालतू पशु क्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		दवाई दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
040	पालतू पशु औषधालय	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 15	
		दवाई की दुकान, वेटिंग,	अधिकतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जैसी सुविधाएं		
041	डायग्नोस्टिक सेन्टर	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 15	
042	ब्लड बैंक	ब्लड बैंक	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
043	रेडक्रॉस केन्द्र	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
044	फिजियोथेरेपी केन्द्र	फिजियोथेरेपी चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की	अधिकतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएं		
		वार्ड	न्यूनतम 10	
045	एक्सरे/रेडियोलॉजी	एक्सरे, रेडियोलॉजी	न्यूनतम 80	
		प्रयोगशाला		
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
रहवासी गतिविधियां				
046	कामकाजी महिला छात्रावास	छात्रावास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		ए.टी.एम., दवाई की दुकान, फोटोकॉपी स्टेशनरी, लॉन्ड्री, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन लायब्रेरी	न्यूनतम 10	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
047	बाल गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
048	बाल सुधार गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
049	झूलाघर/डे-केयर सेंटर	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
050	अनाथालय	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
051	वृद्धाश्रम	निवासकक्ष	न्यूनतम 70	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
052	धर्मशाला	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
053	लॉजिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
054	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन,	न्यूनतम 15	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर		
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
055	होस्टल	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
056	बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
057	रेस्ट हाउस/अतिथि गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
058	रात्रि विश्राम गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर केण्टीन जैसी सुविधाएं	अधिकतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
059	सर्किट हाउस	शयनकक्ष	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाइनिंग, किचन, स्टोर	न्यूनतम 10	
		वेटिंग	न्यूनतम 10	
		मीटिंग कक्ष	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
060	भूखण्डीय विकास	आवासीय भूखण्ड	अधिकतम 58	
		मार्ग	अधिकतम 28	
		खुला क्षेत्र	न्यूनतम 10	
		सर्विस क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि. नि.	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
			अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 02	
061	ग्रुप हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 20	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि. नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 03	
062	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 05	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 05	
063	आवासीय भूखण्ड	आवासीय	न्यूनतम 75	
		व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसलटेन्सी सेवाएं	अधिकतम 25	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
064	शॉपिंग मॉल	शॉपिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
065	मल्टीप्लेक्स	शॉपिंग	न्यूनतम 30	
		होटल	अधिकतम 10	
		सिनेमा	न्यूनतम 25	
		प्ले झोन / गेमिंग झोन	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		फूड झोन	न्यूनतम 10	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
066	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंट स्टोर्स	शॉपिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
067	केफेटेरिया	केफेटेरिया	न्यूनतम 70	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शॉपिंग	न्यूनतम 15	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
068	कन्वेनशन सेंटर	कॉन्फ्रेंस एरिया	न्यूनतम 22	
		मीडिया एरिया	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 20	
		शॉपिंग मॉल	न्यूनतम 15	
		सिनेमा	न्यूनतम 05	
		प्ले झोन	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 01	
		फूड झोन	न्यूनतम 05	
		प्रदर्शनी झोन	न्यूनतम 08	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 10	
		क्लब / स्विमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 02	
069	सुविधाजनक दुकानें	शॉपिंग	न्यूनतम 85	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 10	
070	स्थानीय दुकानें	शॉपिंग	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 15	
		कार्यालय स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
071	साप्ताहिक हाट बाजार	शॉपिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 60	
		कार्यालय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
072	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	कार्पोरेट ऑफिस	न्यूनतम 60	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		शॉपिंग	अधिकतम 15	
073	सिनेमा हॉल	सिनेमा हॉल	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 15	
		शॉप्स	अधिकतम 05	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		फायर	न्यूनतम 05	
074	होटल	होटल	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉप्स	अधिकतम 03	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	
		डाइनिंग एरिया	न्यूनतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
		लॉन्ड्री	न्यूनतम 02	
075	मोटल	मोटल रूम	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉप्स	अधिकतम 05	
		कॉन्फ्रेन्स	अधिकतम 10	
		डाइनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
076	रेस्टोरेंट	रेस्टोरेंट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शॉपिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
077	ईंधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र	ईंधन भराव क्षेत्र	भू.वि.नि. अनुसार	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सर्विस स्टेशन	भू.वि.नि. अनुसार	
		जनरल शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		ऑटो पार्ट शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	05	
		स्टॉफ क्वार्टर	05	
078	व्यवसाय	व्यवसाय	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
079	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		जनरल शॉप	अधिकतम 05	
		ऑटो पार्ट शॉप	अधिकतम 13	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		एटीएम	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
080	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	स्टोरेज / गोदाम	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
081	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 10	
082	जंकयार्ड	जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
083	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.सी.जी. गोदाम	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ. एम.सी.जी. गोदाम	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
084	कॉल सेन्टर	कॉल सेन्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
085	ए.टी.एम.	ए.टी.एम.	अधिकतम 80	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 20	
086	मैरिज हॉल	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
087	बारात घर	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
088	कल्याण मंडपम	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
089	मांगलिक भवन	हॉल	न्यूनतम 40	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
090	मैरिज गार्डन	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	अधिकतम 10	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
091	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कार्गो/वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ.एम.सी.जी. गोदाम	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
092	ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	शोरूम	न्यूनतम 40	
		सर्विस स्टेशन	अधिकतम 30	
		प्रशासकीय प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
093	प्रिंटिंग प्रेस	प्रिंटिंग प्रेस	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		स्टेशनरी	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
094	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	पेट्रोलियम डिपो	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
095	गैस गोडाउन	गैस गोडाउन	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
096	अनाज मण्डी	अनाज मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम 03	
097	सब्जी/फल मण्डी	सब्जी/फल मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 02	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
098	लोहा मण्डी	लोहा मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
099	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 05	
100	सी.एन.जी. केन्द्र	सी.एन.जी. केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
101	सर्विस स्टेशन	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
102	ब्यूटी पार्लर	ब्यूटी पार्लर	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा स्थान	न्यूनतम 05	
103	तौल कांटा	तौल कांटा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
104	थोक मार्केट	थोक मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
105	दवाई मार्केट	दवाई मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
106	स्टेशनरी मार्केट	स्टेशनरी मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
107	ऑटोमोबाइल मार्केट	ऑटोमोबाइल मार्केट दुकानें	न्यूनतम 45	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 15	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 04	
108	फायर वर्क्स मार्केट	फायर वर्क्स मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
109	सर्राफा मार्केट	सर्राफा मार्केट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
110	क्रॉकरी मार्केट	क्रॉकरी मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
111	कपड़ा मार्केट	कपड़ा मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
112	बर्तन बाजार	बर्तन बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
113	मरम्मत बाजार	मरम्मत बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
114	टिम्बर मार्केट	टिम्बर मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
115	केमिकल बाजार	केमिकल बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
116	ई-चौपाल	ई-चौपाल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, फूड झोन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
117	कम्प्यूटर सेंटर	कम्प्यूटर सेंटर	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
118	इन्फॉर्मल शॉपिंग	इन्फॉर्मल शॉपिंग	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
119	बैंकवेट हॉल	बैंकवेट हॉल	अधिकतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम, ठहरने के कमरे	अधिकतम 15	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
120	एफ.एम.सी.जी.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
121	वेयर हाउस	वेयर हाउस	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
122	कोल यार्ड	कोल यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
123	मीट मार्केट	मीट मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
124	सायबर केफे	सायबर केफे	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
125	ढाबा	ढाबा	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा / मरम्मत दुकानें	अधिकतम 10	
126	रेल / एयर टिकिट घर	रेल / एयर टिकिट घर	न्यूनतम 70	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
127	खुला रंगमंच	खुला रंग मंच	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
128	योग केन्द्र	योग केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
129	आध्यात्मिक केन्द्र	आध्यात्मिक केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
130	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
131	सामाजिक कल्याण केन्द्र	सामाजिक कल्याण केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
132	लाइब्रेरी	लाइब्रेरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
133	धार्मिक परिसर	धार्मिक परिसर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
134	कॉन्फ्रेन्स हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	कॉन्फ्रेन्स हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 10	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
135	नाट्य गृह	नाट्य गृह	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
136	कम्यूनिटी हॉल	कम्यूनिटी हॉल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
137	स्वयं सेवी संस्थान	स्वयं सेवी संस्थान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
138	क्रेच / झूलाघर	क्रेच / झूलाघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
139	आर्ट / गैलरी संग्रहालय	आर्ट गैलरी / संग्रहालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
140	खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क	खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
141	गोल्फ कोर्स	गोल्फ कोर्स	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 02	
		जिम, फिटनेस क्लब	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 03	
142	एम्पूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस प्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	एम्पूजमेंट पार्क / मय राईड्स	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
		होटल	न्यूनतम 05	
143	क्लब / रिसोर्ट	क्लब, रिसोर्ट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब	अधिकतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम	अधिकतम 05	
145	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 10	
146	बोट क्लब	बोट क्लब	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		टिकट काउण्टर	अधिकतम 02	
147	आंतरिक स्टेडियम	आंतरिक स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाइनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 02	
		क्लब	न्यूनतम 02	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
148	स्टेडियम	स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
149	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 10	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
150	आरचर्ड	आरचर्ड	— —	
		स्टोर	— —	7.5X7.5 मी.
		रेस्ट रूम	— —	10.0X10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएं	— —	6.0X6.0 मी.
		किचन, पेन्ट्री	— —	6.0X6.0 मी.
		नर्सरी	— —	10.0X10.0 मी.
151	तरणताल	तरणताल	न्यूनतम 55	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / गेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		शॉपिंग	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
152	पिकनिक हट	पिकनिक हट	— —	प्रत्येक हट 7.5X7.5 मी.
		स्टोर	— —	7.5X7.5 मी.
		रेस्ट रूम	— —	10.0X10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएं	— —	6.0X6.0 मी.
		किचन, पेन्ट्री	— —	6.0X6.0 मी.
		नर्सरी	— —	10.0X10.0 मी.
153	फलाइंग क्लब	फलाइंग प्रशिक्षण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
154	फिटनेस क्लब	फिटनेस क्लब/जिम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 05	
		कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी/कंसलटेशन	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
155	मेला मैदान	मेला मैदान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियेटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
156	नर्सरी	नर्सरी	न्यूनतम 65	
		कार्यालय / स्टोर	अधिकतम 15	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
157	पक्षी अभ्यारण	पक्षी अभ्यारण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
158	वनस्पति उद्यान	वनस्पति उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
159	प्राणी उद्यान	प्राणी उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
160	मत्स्यालय	मत्स्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
161	केम्पिंग साइट	केम्पिंग साइट	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन/ सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	वाटर पार्क	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/ रेस्टोरेंट/ केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
163	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
शासकीय गतिविधियां				
164	शासकीय / अर्द्धशासकीय	शासकीय / अर्द्धशासकीय / उ	अधिकतम 50	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	पक्रम कार्यालय प्रशासकीय / सुरक्षा		
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 02	
		स्टोर	न्यूनतम 08	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 03	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 02	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 05	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 02	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
165	न्यायालय	न्यायालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
166	जेल	जेल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		आर्ट एंड क्राफ्ट	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	स्थानीय निकाय कार्यालय	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 01	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 02	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
168	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
169	पुलिस पोस्ट	पुलिस पोस्ट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
170	बैंक	बैंक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं				
171	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय अर्द्धशासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक / लायब्रेरी / जिम	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
172	पोस्ट ऑफिस	पोस्ट ऑफिस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
173	दूरसंचार टावर/स्टेशन	दूरसंचार टावर/स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
174	जल शोधन संयंत्र	जल शोधन संयंत्र	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम./ बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मनोरंजन/ सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 07	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	न्यूनतम 04	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
176	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार	न्यूनतम 60	
		संयंत्र	अधिकतम 05	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	अधिकतम 02	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
177	दूर संचार केन्द्र	दूर संचार केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधायें	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
178	ट्रांसमिशन टावर/ वायर लेस स्टेशन	ट्रांसमिशन टावर/ वायरलेस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
179	रेडियो स्टेशन	रेडियो स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
180	वैधशाला	वैधशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
181	अग्निशमन केन्द्र	अग्निशमन केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
182	टेलीविजन स्टेशन	टेलीविजन स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
183	मौसम कार्यालय	मौसम कार्यालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
184	विद्युत सब स्टेशन	विद्युत सब स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
185	श्मशान / कब्रिस्तान / सिमीट्री	श्मशान / कब्रिस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
186	दूरसंचार टावर	दूरसंचार टावर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
187	गौशाला	गौशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
189	दूरभाष केन्द्र	दूरभाष केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
190	विन्ड मिल्स / फार्म	विन्ड मिल्स फार्म	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
191	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
192	विद्युत शवदाह गृह	श्मशान / कब्रिस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
193	ओवर हेड पानी की टंकी	ओवर हेड पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
194	भूमिगत पानी की टंकी	भूमिगत पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
195	आक्सीडेशन पौंड	आक्सीडेशन पौंड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
196	सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक	न्यूनतम 100	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
197	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
198	घूरा एवं कचराघर	घूरा / कचराघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
199	धोबी घाट	धोबी घाट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
औद्योगिक सुविधाएं				
200	एग्रो स्तर उद्योग	एग्रो स्तर उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
201	डेयरी प्लांट	डेयरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
204	डेरी प्लांट	डेरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
205	स्लाटर हाउस	स्लाटर हाउस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
206	फेलेटेड फैक्टरी	फेलेटेड फैक्टरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
207	एक्सटेंसिव/विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	एक्सटेंसिव/विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन/रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
209	फूड पार्क	फूड पार्क	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
210	सॉफ्टवेयर पार्क	सॉफ्टवेयर पार्क	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
		मॉल / मल्टीप्लेक्स / सुपर मार्केट	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		क्लब / स्वीमिंग पूल	अधिकतम 02	
		आवासीय फ्लैट्स	अधिकतम 05	
211	दुग्ध केन्द्र	दुग्ध केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
यातायात सुविधाएं				
212	बस स्टेण्ड	बस स्टेण्ड	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		कॉम्प्लेक्स		
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एम.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02	
213	बस टर्मिनल	बस टर्मिनल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एम.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेंट ऑफिस	न्यूनतम 02	
214	पिकअप स्टेशन	पिकअप स्टेशन	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
215	बस स्टॉप	बस स्टॉप / प्रतीक्षालय	न्यूनतम 80	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
216	यातायात नगर	गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 02	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एम.टी.डी. पी.	न्यूनतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सी.ओ.		
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें/वर्कशॉप	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया /ढाबा	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्पलेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		इन्टरनेट केफे, एम.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
219	मल्टी लेवल पार्किंग	मल्टी लेवल पार्किंग	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / सुविधा दुकानें	अधिकतम 06	
220	बस डिपो / कर्मशाला	बस डिपो / कर्मशाला	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेंट	न्यूनतम 02	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ऑफिसेस		
221	कार्गो	गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एम.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
222	पार्किंग			
223	कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो / गोदाम, ट्रांसपोर्ट / फारवर्डिंग एजेन्सी संबंधी कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
224	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो अनुसार	कन्टेनर डिपो अनुसार	
225	हेलीपेड	हेलीपेड	विमान तल प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार	
226	रेल स्टेशन	रेल स्टेशन	रेल प्राधिकारी के मापदण्डों अनुसार	
227	धर्मकांटा / वेविंग ब्रिज	धर्मकांटा / वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां				
228	मुर्गी पालन केन्द्र	मुर्गी पालन केन्द्र	न्यूनतम 65	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 05	
229	फार्म हाउस	फार्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
230	डेयरी	डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
231	पशु पालन केन्द्र	पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
232	पशु शोध केन्द्र	पशु शोध केन्द्र	न्यूनतम 50	
		पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम 10	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
233	ग्रामीण केन्द्र	ग्रामीण विकास केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
234	अनाज गोदाम	अनाज गोदाम	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
235	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
236	मेरिज गार्डन	मेरिज गार्डन	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 06	
		स्टोर	न्यूनतम 06	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 04	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट रूम	अधिकतम 05	
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
238	कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र	कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
239	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
240	औषधालय	औषधालय	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	कृषि उपकरण कर्मशाला	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
242	चौपाल	चौपाल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
243	उत्सव स्थल	उत्सव स्थल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ल एरिया	अधिकतम 05	

अनु क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियेटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन/सांस्कृतिक	अधिकतम 05	

नोट : 1. न्यूनतम श्रेणी की गतिविधियां अनिवार्य स्वरूप की हैं तथा अधिकतम श्रेणी की गतिविधियां ऐच्छिक स्वरूप की हैं।

2. ऐच्छिक स्वरूप की गतिविधियों के प्रतिशत में, प्रोजेक्ट/परियोजना की आवश्यकता अनुरूप, सक्षम अधिकारी परिवर्तन कर सकेगा।

4.11 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन :-

भवन की ऊंचाई, अहाते की दीवार की ऊंचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

(अ) वर्तमान आवासीय क्षेत्र :-

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

4-सा-10

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र (%)	फर्शी क्षेत्रानुपात
90 वर्गमीटर से कम	75% प्रतिशत	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66% प्रतिशत	1.15
180 वर्गमीटर से अधिक	60% प्रतिशत	1.00

टीप :- मार्ग की चौड़ाई 9.00 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 तक अनुज्ञेय होगा।

(ब) आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड :-

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु, उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीनी आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

(स) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र :-

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी -

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 2 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।
- (ङ) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भूखण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :-

— 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
— 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
— फर्शी क्षेत्र अनुपात	2.00

टीप :- (1) वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।

(2) किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्ड में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

(द) वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :-

उक्त हेतु निम्न मापदण्ड अपनाए जावेंगे -

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन

4-सा-11

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.0
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.0
3.	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.0
4.	नर्सरी स्कूल	50 प्रतिशत	1.0
5.	अस्पताल	40 प्रतिशत	1.0
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.0
7.	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.0
8.	अग्निशमन स्थल	50 प्रतिशत	1.0
9.	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10.	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.0

टीप :- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

4.12 सामान्य अनुशंसाएं :-

समस्त शासकीय भूखण्ड, जो नगर में इधर-उधर बिखरे हुये हैं, को किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर नहीं देते हुये क्रियान्वयन संस्था/प्राधिकारी को विकास हेतु सौंप देना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस नीति से नियोजित एवं समन्वित विकास हो सकेगा तथा साथ ही शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु यथा संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं, तो नियोजन प्रस्ताव व्यर्थ हो जावेंगे। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हों, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें। भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, जब तक विकास अधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका, मैहर द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका परिषद् आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

5.1 विकास योजना का क्रियान्वयन :-

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि व 1.20 लाख अनुमानित जनसंख्या के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में 1,02,440.75 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 645.15 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर 80.00 लाख रुपये प्रति हेक्टर मानी गई है। विकास व्ययों का जहां तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग आता है। संपूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 5-सा-1 में दर्शाया गया है।

योजना क्रियान्वयन की लागत

5-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टर में)			भू-अर्जन लागत (रु. 80.00 लाख प्रति हे. की दर से)	अर्जित भूमि के 70 प्रतिशत का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में 6+9)
		प्रस्तावित	वर्तमान	शेष भूमि जो अंकित करना है		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	(लागत रु. लाख में)	
1.	आवासीय	692.00	423.20	259.80	20784.00	181.86	100.00	18186.00	38970.00
2.	वाणिज्यिक	95.14	15.14	80.00	6400.00	56.00	150.00	8400.00	14800.00
3.	औद्योगिक	224.00	189.00	35.00	2800.00	24.50	125.00	3062.50	5852.50
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	91.38	47.68	43.70	3496.00	30.59	100.00	3059.00	6556.00
5.	आमोद-प्रमोद	136.70	6.70	130.00	10400.00	91.00	50.00	4550.00	14950.00
6.	यातायात एवं परिवहन	172.30	85.65	86.65	6932.00	60.65	125.00	7581.25	14513.25
7.	मेला ग्राउण्ड	2.00	—	10.00	800.00	10.00	100.00	1000.00	1800.00
8.	भू-दृश्यीकरण एवं वृक्षारोपण	—	—	—	—	—	—	*500.00	500.00
9.	गंदी बस्ती सुधार	—	—	—	—	—	—	*500.00	500.00
10.	जलाशयों का विकास	—	—	—	—	—	—	*1000.00	1000.00
11.	सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं जल मल निकासी एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	*1000.00	1000.00
12.	ओवर ब्रिज	1	—	—	—	—	—	*1000.00	1000.00
13.	अण्डर ब्रिज	1	—	—	—	—	—	*500.00	500.00
14.	क्षतिपूर्ति	—	—	—	—	—	—	*500.00	500.00
	योग :-	1415.52	767.37	645.15	51612.00	454.60	1348.24	50838.75	1,02,440.75

नोट : *एक मुश्त राशि

5.2 योजना क्रियान्वयन की नीति :-

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

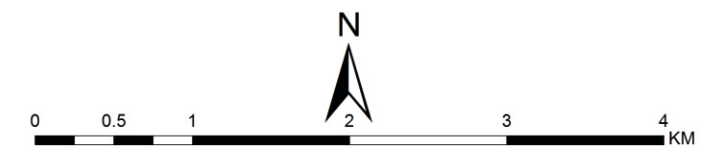
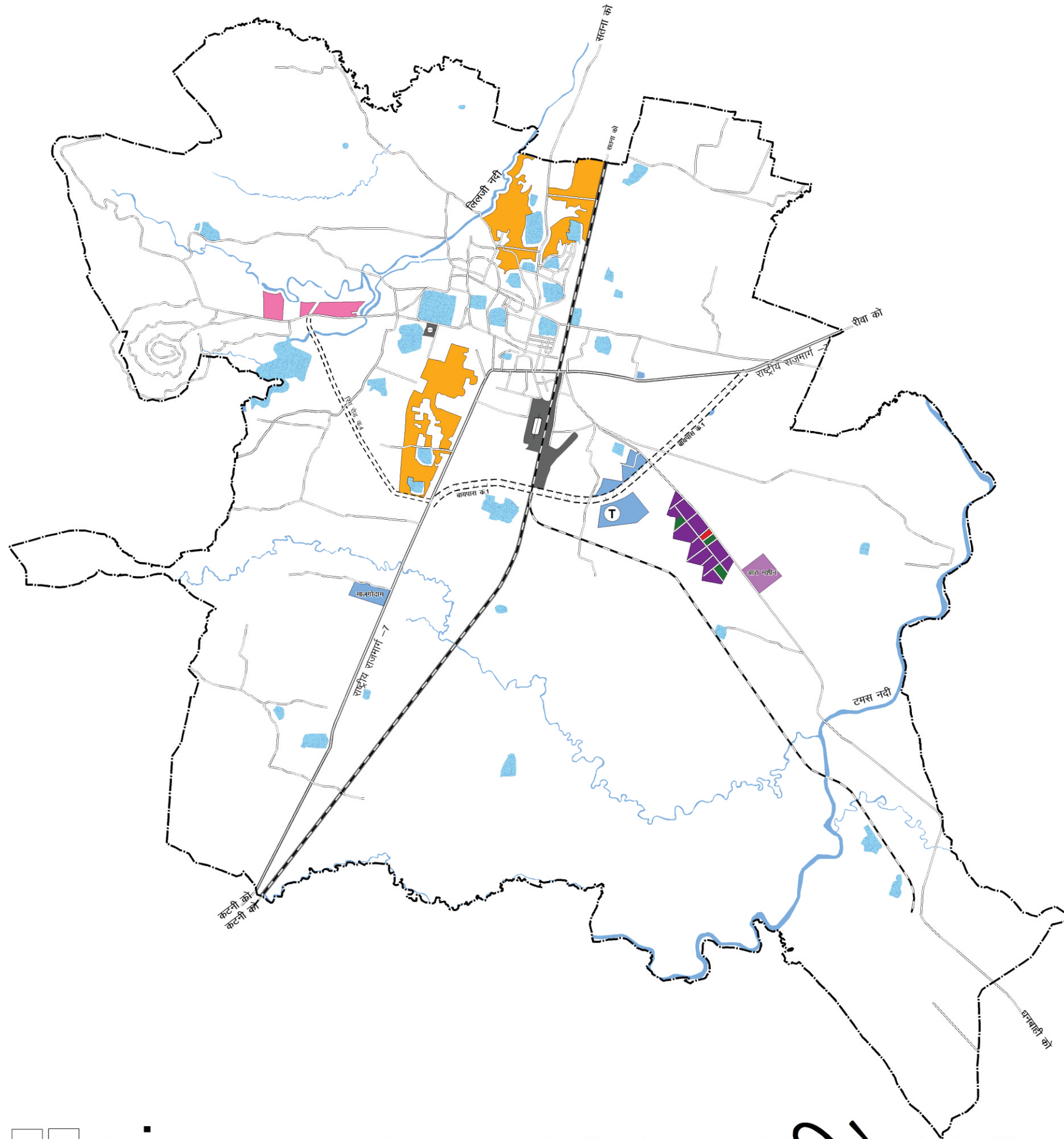
1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण
3. भूमि का कुशलतम उपयोग
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण

मैहर

प्रथम चरण

संकेत

RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
TRANSPORT NAGAR		यातायात नगर
INDUSTRIAL		औद्योगिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
ROADS		मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY LINE		रेल्वे लाईन



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

दिनांक: 21.02.2014



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु प्रदान करना
इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :—
(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
8. आवासीय परिक्षेत्रों में इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में संबंधित विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
9. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिये एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 6.0x6.0 मीटर स्थान आरक्षित रखना होगा। जहां से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सके जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
10. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखंड का आकार, प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात आदि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के निर्दिष्ट प्रावधानानुसार नियंत्रित होगा।

5.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनःचक्रिकरण एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है:—

1. तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में जल मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में “स्टाप डेम” द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
4. तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदंडों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

5.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :—

- संस्था गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

5.4.1 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे पाँच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा। वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा, यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण—लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्षों में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिये समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका “सुविधादायक” के रूप में होना चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :—

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हो।
6. समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

5.5 भूमि विकास नीति

5.5.1 योजनाएं एवं कार्यक्रम

आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2021 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण 2021 से 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :—

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिये नीति तैयार करना।
2. मार्ग ग्रिड विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों/विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पाँच से दस हेक्टर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के दोनों चरणों की आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना, पावर, जल निकास व्यवस्था का विकास।

7. भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनाएं के साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुमति प्रणाली तैयार करना चाहिए।

8. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

5.5.2 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैं :-

— यह सुनिश्चित हो की भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।

— उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।

— बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।

— अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।

— भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र में ग्राम उमरीपैला एवं पटेहरा में आवासीय, ग्राम हरनामपुर एवं पोंडी में वाणिज्यिक, ग्राम अरकण्डी में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं, ग्राम सोनवारी में औद्योगिक, ग्राम मैहर में यातायात/बस स्टेण्ड आदि कार्य सारणी क्र. 5-सा-2 अनुसार प्रस्तावित हैं।

प्रथम चरण कार्यक्रम में आलोच्य क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना विकास में नवीन नगरीय विस्तार का लगभग 184 हेक्टर क्षेत्र शामिल है। भूमि अधिग्रहण की लागत को मिलाकर उक्त क्षेत्र के वर्तमान दर से विकास में आने वाली लागत रुपये 48460 लाख अनुमानित है।

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

5-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन की लागत (10.0 लाख प्रति हे. में)		अर्जित भूमि की विकास दर/लागत (लाख में)			कुल लागत (लाख में) (4+7)
		भौतिक लक्ष्य	लागत (लाख में)	क्षेत्र हेक्टर में	लागत (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	72.00	60.00	4320.00	50.40	15120.00	19440.00
2.	वाणिज्यिक (प्रस्तावित यातायात नगर)	20.00	75.00	1500.00	14.00	4200.00	5700.00

3	औद्योगिक	15.00	60.00	900.00	10.50	3150.00	4050.00
4	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा	13.00	60.00	780.00	9.10	2730.00	3510.00
5	आमोद-प्रमोद	8.00	40.00	320.00	5.60	1680.00	2000.00
6	यातायात एवं परिवहन	26.00	50.00	1300.00	18.20	5460.00	6760.00
7	वृक्षारोपण	30.00	20.00	600.00	21.00	6300.00	6900.00
8	अण्डर ब्रिज-1	एक नग	—	—	—	100.00	100.00
	योग :-	184.00	365.00	9720.00	128.80	38740.00	48460.00

संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को मैहर जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है, इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते हैं :-

बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यन्त तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

5.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

2. अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :—

- (अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
- (ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण
- (स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना
- (द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
- (इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।

(फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना

(ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।

(ड) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :— योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :—

- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व मैहर विकास प्राधिकरण का होगा, जब तक विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होता, तब तक विकास योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका मैहर का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-3-45/32/2010 भोपाल, दिनांक 13.04.2010 द्वारा संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

4. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.8 योजना की व्याख्या

मैहर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

(1) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुपालन आवश्यक है।

(2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।

(3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी। किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची/तालिका में शामिल है, के भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेगी।

(4) विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा लिया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।

परिशिष्ट 'क'-1

(नियम 14 देखिए)

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

महोदय,

मैं नगर.....तहसील.....जिला.....के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार.....ग्राम.....में स्थित खसरा क्रमांक.....भूखण्ड क्रमांक.....क्षेत्र.....हेक्टर/वर्ग मीटर(विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथावास्तुविद या संरचना इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक.....जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ

1. मुख्य रेखांक नियम 16(3) अनुसार
2. स्थल रेखांक नियम 16(3) अनुसार
3. उप विभाग/अभिन्यास योजना नियम 16(5) अनुसार
(सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक नियम 16(7) अनुसार
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट
6. स्थल के सम्बन्ध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16(11) अनुसार
7. नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16(11) अनुसार.....
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21(2) (झ) अनुसार.....
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो).....
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान.....

11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 इलेक्ट्रॉनिक कापी.....

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हम कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष/मोबाइल नम्बर

दिनांक

परिशिष्ट 'छ'

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 का

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रिय अयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

अधिकारी

.....
.....
.....
.....

मध्यप्रदेश ।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला.....मोहल्ला/बाजार/तहसील.....
कॉलोनी/गली/मार्ग.....मैं भूखण्ड क्रमांक.....खसरा क्रमांक.....की
भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक
योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिए
उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए
आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक के अथवा स्वामी के हस्ताक्षर.....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक के अथवा स्वामी का पता

दिनांक.....

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13.4.2010

क्रमांक-एफ-3-45/32/2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.01.1998, आदेश क्रमांक-एफ-3-55/32/98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक-एफ-3-130/32/97, दिनांक 2 मई-2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति' को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | सांसद, संबंधित क्षेत्र | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. | अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत | सदस्य |
| 5. | महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम | सदस्य |
| 6. | निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत | सदस्य |
| 9. | म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 10. | संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत | सदस्य |
| 11. | लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 12. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 13. | म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 14. | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सदस्य |
| 15. | संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नग्रानि, संबंधित जिला कार्यालय | सदस्य
सचिव |
| (अ) | इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। | |
| (ब) | सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण/निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। | |

- (स) क्रियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता.
(वर्षा नावलेकर)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र.-एफ-एफ-3-45/32/2010

भोपाल, दिनांक 13.4.2010

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
3. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल।
4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निवेदन है, कि जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदों, विधानसभा क्षेत्र के विधायकों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा नगर पंचायतों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, म.प्र.।
7. समस्त अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र. की ओर अग्रेषित।

हस्ता.
(वर्षा नावलेकर)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2
दिनांक 19.08.1977 पृष्ठ 463 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(पर्यावरण शाखा)
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1977

क्रमांक 1523/1827/बत्तीस/77 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) अंतर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मैहर निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं।

अनुसूची
मैहर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में : ग्राम उमरीपैला, मानपुर व अरकंडी, ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
2. पश्चिम में : ग्राम अरकंडी, उदयपुर, अमड़ा, डांडी तथा पोंडी की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण में : ग्राम पोंडी, कुटाई तथा सोनवारी की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्व में : ग्राम सोनवारी, गिरगिटा, अमिलिया, कटियाकलां, तिघरा तथा उमरी पैला की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(जी.पी. श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1)
दिनांक 7.9.1979 पृष्ठ 1504 पर प्रकाशित

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर एवं ग्राम निवेश, रीवा

मैहर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र एवं रजिस्ट्रों का अंगीकरण

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैहर निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिका कार्यालय, मैहर में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है 0—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1523/1827/बत्तीस, भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1977 द्वारा मैहर निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं—

1. उत्तर में : ग्राम उमरीपैला, मानपुर व अरकंडी, ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
2. पश्चिम में : ग्राम अरकंडी, उदयपुर, अमड़ा, डांडी तथा पोंडी की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण में : ग्राम पोंडी, कुटाई तथा सोनवारी की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्व में : ग्राम सोनवारी, गिरगिटा, अमिलिया, कटियाकलां, तिघरा तथा उमरी पैला की पूर्वी सीमा तक।

हस्ताक्षर

(आ.बि. लाल)
संयुक्त संचालक



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018—वैशाख 24, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018

मैहर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 2298-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैहर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, सतना जिला सतना
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मैहर

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मैहर विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	4 4	4-सा-7 4-सा-7	4 9	गैर-प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टिप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

सूचना

क्र. एफ-3-33-2014-बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मैहर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मैहर, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

वर्षा नावलेकर

उपसचिव

भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. एफ-3-33-2014-बत्तीस,-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-33-2014-बत्तीस, दिनांक 26 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एस.के. मुदगल

अवर सचिव

Bhopal, the 26th February 2015

NOTICE

No. F-3-33-2014-XXXII,-Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Maiher, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, M.P.
2. Collector, District Satna, M.P.
3. Chief, Municipal Officer, Municipal Council Maiher, M.P.
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Satna, M.P.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh

VARSHA NAOLEKAR

Dy, Secy.